| | |
|---|---|
| **42** | रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति<br>**(2022-23)**<br>**सत्रहवीं लोक सभा** |

# रसायन और उर्वरक मंत्रालय

## (औषध विभाग)

**अनुदानों की मांगे**
**(2023-24)**
**बयालीसवां प्रतिवेदन**

सत्यमेव जयते

**लोक सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**
**मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)**

**सीसीएंडएफ सं. 170**

**बयालीसवां प्रतिवेदन**

# रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
**(2022-23)**

**(सत्रहवीं लोक सभा)**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय**
**(औषध विभाग)**

**अनुदानों की मांगे**
**(2023-24)**

**21.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।**
**21.03.2023 को राज्य सभा पटल पर रखा गया।**

**लोक सभा सचिवालय**
**नई दिल्ली**
**मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)**

**विषय सूची**


| | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| समिति (2022-23) की संरचना | | (iv) |
| प्राक्कथन | | (vi) |
| संक्षेपाक्षर | | (vii) |
| | **प्रतिवेदन** | |
| **भाग एक** | **कथन** | |
| I | प्रस्तावना | 1 |
| II | वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए औषध विभाग हेतु प्रस्तावित और अनुमोदित वित्तीय परिव्यय | 4 |
| III | 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान बजटीय आबंटन की तुलना में उपयोग | 10 |
| IV | स्कीम-वार विश्लेषण<br>क. राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)<br>ख. उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें<br>ग. वृहद स्कीम: औषध उद्योग का विकास<br>घ. औषध उद्योग को सुदृढ़ करना (एसपीआई)<br>ड. चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन संबंधी स्कीम<br>च. बल्क औषध पार्कों के संवर्धन संबंधी स्कीम (पूर्ववर्ती नाम- साझा सुविधा केंद्र के लिए बल्क दवा उद्योग को सहायता)<br>छ. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) | 14 |
| V | राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) | 37 |
| **भाग दो** | **टिप्पणियां/सिफारिशें** | 40 |
| | **परिशिष्ट** | |
| I. | दिनांक 15 फरवरी, 2023 को हुई रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की बैठक का कार्यवाही सारांश। | 55 |
| II. | दिनांक 20 मार्च, 2023 को हुई रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की बैठक का कार्यवाही सारांश। | 58 |

## रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की संरचना
## (2022-23)

## डॉ. शशि थरूर - सभापति

## सदस्य
## लोक सभा

2. श्री दिव्येन्दु अधिकारी
3. श्री एम बदरूद्दीन अजमल .
4. श्री सीअन्नादुरई .एन .
5. श्री दीपक बैज
6. श्री रामाकान्त भार्गव
7. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
8. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
9. डॉसंजय जायसवाल .
10. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
11. श्री कृपानाथ मल्लाह
12. श्री सत्यदेव पचौरी
13. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
14. श्री अरूण कुमार सागर
15. श्री एम सेल्वराज .
16. डॉसंजीव कुमार शिंगरी .
17. श्री अतुल कुमार सिंह ऊर्फ अतुल राय
18. श्री प्रदीप कुमार सिंह
19. श्री उदय प्रताप सिंह
20. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
21 श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा

## राज्य सभा

22. श्री जीसी. चन्द्रशेखर .
23. डाअनिल जैन .
24. श्री अरूण सिंह
25. श्री राम नाथ ठाकुर*
26. श्री विजय पाल सिंह तोमर
27. रिक्त
28. रिक्त
29. रिक्त
30. रिक्त
31. रिक्त

* नामांकित w.e.f. 13.02.2023 लोकसभा बुलेटिंग-भाग II पैरा संख्या 6251 दिनांक 14.02.2023 द्वारा।

## सचिवालय

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री विनय कुमार मोहन | - | संयुक्त सचिव |
| 2. | श्री एन. के. झा | - | निदेशक |
| 3. | श्रीमती गीता परमार | - | अपर निदेशक |
| 4. | सुश्री सोनिया सांखला | - | कार्यकारी अधिकारी |

**प्राक्कथन**

मैं, रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी यह बयालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति ने औषध विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर विचार किया, जिन्हें 10 फरवरी, 2023 को सभा पटल पर रखा गया था। तदुपरांत समिति ने 15 फरवरी, 2023 को औषध विभाग के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति ने 20 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति विषय की जांच के संबंध में अपेक्षित जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने और साक्ष्य देने के लिए औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधिकारियों का आभार व्यक्त करती है।

4. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा उसे प्रदान की गई महत्वपूर्ण सहायता के लिए उनकी सराहना करती है।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

**नई दिल्ली;**
**20 मार्च, 2023**
**29 फाल्गुन, 1944 (शक)**

**डॉ. शशि थरूर**
**सभापति,**
**रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति**

**<u>प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दों का प्रथमाक्षर/संक्षिप्ताक्षर</u>**

| | |
|---|---|
| एपीआईसीएफ | साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता |
| एपीआई | एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इन्ग्रेडिएंट्स |
| बीसीपीएल | बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड |
| ब.अ. | बजट अनुमान |
| बीआईएफआर | औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड |
| बीआईएल | बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड |
| सीएपीपीएम | उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी |
| सीईई | स्थापना व्यय संबंधी समिति |
| सीआईएफ | सामान्य अवसंरचना सुविधाएं |
| सीओई | उत्कृष्टता केंद्र |
| सीओएम | मंत्रियों की समिति |
| सीपीएसई | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम |
| डीआई | ड्रग इंटरमीडिएट |
| डीपीसीओ | औषध मूल्य नियंत्रण आदेश |
| डीपीआई | औषध उद्योग का विकास |
| ईसी | अधिकार प्राप्त समिति |
| ईएफसी | आर्थिक वित्त समिति |
| एफडीआई | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश |
| एचएएल | हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड |
| आई | अंतरराष्ट्रीय सहयोग |
| आईपीएमआर | फार्मा–मेडटेक सेक्टर में इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन |
| आईडीपीएल | इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड |
| आईईसी | सूचना, शिक्षा और संचार |
| आईएफसीआई | भारतीय औद्योगिक वित्त निगम |
| केएपीएल | कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड |
| केएसएम | मुख्य प्रारंभिक सामग्री |
| एमएसएमई | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम |
| नाईमर | राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान |
| नाईपर | राष्ट्रीय औषधिय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान |
| एनपीएए | राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण |
| एनएलईएम | आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची |
| पीएलआई | प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव |
| पीएमए | परियोजना प्रबंधन एजेंसी |
| पीएमबीआई | फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया |
| पीएमबीजेपी | प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना |
| पीएमसी | परियोजना प्रबंधन सलाहकार |
| पीएमपीडीएस | औषधीय संवर्धन विकास योजना |

| | |
|---|---|
| पीएमआरयू | प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट |
| पीओएस | बिक्री केन्द्र |
| पीपीडीएस | औषध संवर्धन और विकास योजना |
| पीआरआईपी | औषध क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना |
| पीएसयू | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम |
| पीटीयूएएस | औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना |
| क्यूआरआर | तिमाही समीक्षा रिपोर्ट |
| सं.अ. | संशोधित अनुमान |
| आरडीपीएल | राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड |
| एसआईए | राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां |
| एसआईडीबीआई | भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक |
| एसएमई | लघु और मध्यम उद्यम |
| एसओपी | मानक संचालन प्रक्रिया |
| एसपीआई | औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण |
| एसएससी | योजना संचालन समिति |
| एसएसपीएल | स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड |
| टीएमआर | व्यापार मार्जिन युक्तिकरण |
| यूसी | उपयोग प्रमाण पत्र |
| यूएसएफडीए | यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन |

# प्रतिवेदन

## भाग - I

## I. प्राक्कथन

देश में औषध क्षेत्र के विकास पर अधिक ध्यान देने और जोर देने तथा किफायती मूल्यों पर दवाओं के मूल्य निर्धारण और उपलब्धता, अनुसंधान एवं विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और औषध क्षेत्र से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से संबंधित विभिन्न जटिल मुद्दों को विनियमित करने के उद्देश्य से रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 1 जुलाई, 2008 को औषध विभाग का गठन किया गया था जिसे अन्य मंत्रालयों के साथ काम के एकीकरण की आवश्यकता थी।

2. विभाग के कार्य को मुख्य रूप से मूल्य निर्धारण, नीति, योजना, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाइपर), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) और चिकित्सा उपकरण प्रभागों में विभाजित किया गया है। विभाग के पास निम्नलिखित व्यापक विषयों से निपटने का अधिदेश है: -

i. ड्रग्स और औषधियों, विशेष रूप से अन्य विभागों को आबंटित को छोड़कर
ii. चिकित्सा उपकरण- संवर्धन, उत्पादन और निर्माण से संबंधित उद्योग के मुद्दे; विशेष रूप से अन्य विभागों को आबंटित किए गए विभागों को छोड़कर।
iii. औषध क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी, व्यावहारिक और अन्य अनुसंधान का प्रचार और समन्वय।
iv. औषध क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और कौशल का विकास और संबंधित जानकारी का प्रबंधन।
v. भारत और विदेश में उच्च अनुसंधान और फेलोशिप प्रदान करने सहित शिक्षा और प्रशिक्षण, औषध क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों पर सूचना और तकनीकी मार्गदर्शन का आदान-प्रदान।
vi. औषध संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी को बढ़ावा देना।
vii. औषध अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जिसमें भारत और विदेशों में संबंधित क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य शामिल हैं।
viii. विभाग को सौंपे गए विषयों से संबंधित क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों के तहत संगठनों और संस्थानों के बीच समन्वय सहित अंतर-क्षेत्रीय समन्वय।

ix. औषध क्षेत्र में राष्ट्रीय खतरों से निपटने के लिए तकनीकी सहायता।

x. मूल्य नियंत्रण/निगरानी के संबंधित कार्यों सहित राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित सभी मामले।

xi. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान से संबंधित सभी मामले।

xii. विभाग से संबंधित सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण और सहायता।

xiii. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।

xiv. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड।

xv. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।

xvi. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।

xvii. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्स लिमिटेड।

3. विभाग का दृष्टिकोण भारतीय औषध क्षेत्र को गुणवत्तापूर्ण दवाओं के लिए वैश्विक नेता के रूप में बढ़ावा देना है; और देश में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करना। उद्देश्य इस प्रकार है:

- औषध क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए निवेश,
- महत्वपूर्ण एपीआई और चिकित्सा उपकरणों में मेक इन इंडिया,
- उद्योग विस्तार, कौशल, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार,
- स्थिर और प्रभावी मूल्य विनियमन, और
- जनऔषधि योजना का विस्तार करके जेनेरिक दवाएं

4. विभाग की मुख्य गतिविधियां नीति निर्माण, क्षेत्रीय नियोजन, संवर्धन और औषध उद्योगों का विकास हैं। विभिन्न औषधीय मदों के निर्माण में लगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कुछ अन्य संगठनों का प्रशासनिक और प्रबंधकीय नियंत्रण विभाग के प्रमुख कार्य हैं।

5. विभाग की पांच केन्द्रीय क्षेत्र की योजनायें, नामतः (क) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), (ख) उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें, (ग) औषध उद्योग का विकास, वृहद योजना (घ) प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) और (ङ) उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निर्धारण निगरानी (सीएपीएम) आदि हैं। पीएमबीजेपी योजना फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) के माध्यम से लागू की जा रही है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त सोसायटी है। सीएपीपीएम

का कार्यान्वयन राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के माध्यम से किया जाता है जो विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय है। शेष योजनाएं नामतः नाईपर स्कीम, पीएलआई स्कीमें और औषध उद्योग का विकास विभाग द्वारा सीधे संचालित की जाती हैं।

6. औषध उद्योग और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के कार्य-निष्पादन के संबंध में, सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत कहा:

*कुल वैश्विक निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत भारत से होता है। यह मात्रा में तीसरा बड़ा है लेकिन मूल्य में लगभग 13 वां सबसे बड़ा देश है जो दर्शाता है कि हम उच्च चिकित्सीय की तुलना में कम लागत वाले जेनेरिक दवाओं में विश्वास रखते हैं... हालांकि, उच्च समानता का एक संकेत यह है कि भारत में, औषध क्षेत्र में, हमारे पास अमेरिका के बाहर संयुक्त राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) अनुमोदित विनिर्माण स्थलों की सबसे बड़ी संख्या है। चिकित्सा उपकरणों में, यह एक अलग कहानी है। हमारा आयात निर्यात की तुलना में बहुत अधिक है। औषध क्षेत्र में हमारे पास जो कुछ है, यह उसके ठीक विपरीत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक बहुत ही नया क्षेत्र है। इसे सूर्योदय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहां भी, मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह 11 बिलियन डॉलर का क्षेत्र है और यह 50 बिलियन डॉलर तक जाने की उम्मीद है। मैं यह बताना चाहूंगा कि यद्यपि हमारा निर्यात आयात से कम है, फिर भी हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक आधारित चिकित्सा उपकरणों का निर्यात करने में भी सक्षम हैं। सर्जिकल, डिस्पोजल सिरिंज, इम्प्लांट, स्टेंट आदि में हमारे पास काफी क्षमता है। हमारे पास ग्रीनफील्ड फार्मा के लिए 100 प्रतिशत और ब्राउनफील्ड फार्मा में 74 प्रतिशत एफडीआई है। गत चार वर्षों में एफडीआई प्रवाह में अच्छी वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 में 12,000.00 करोड़ रुपये का प्रवाह हुआ है।*

7. औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए डीओपी की व्यापक रणनीति पर विस्तार से बताते हुए सचिव ने कहा:

*"हम औषध क्षेत्र को न केवल एक उद्योग के रूप में देखते हैं, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखते हैं जिसमें आर्थिक रणनीतिक लक्ष्यों के अलावा सामाजिक लक्ष्य भी हैं। हमारे रणनीतिक लक्ष्य ड्रग सुरक्षा का निर्माण करना और वैश्विक नेतृत्व बनाए रखना है। सामाजिक लक्ष्य अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं के रोगियों के लिए सामर्थ्य और पहुंच बनाए रखना है। ड्रग सुरक्षा का निर्माण करने के लिए, हमें अपनी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने की आवश्यकता है।"*

8. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगों (2023-24) को 10 फरवरी, 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 5728.57 करोड़ रुपये की प्रस्तावित मांग के मुकाबले मांग संख्या 7 के तहत विभाग को 3160.06 करोड़ रुपये का बजट अनुमान (ब.अ.) दिया गया है, जो प्रस्तावित बजटीय मांग का 55.2% है। गत वर्ष 2022-23 के दौरान बजट अनुमान आबंटन 2244.15 करोड़ रुपये था। इस प्रकार, विभाग के बजट आबंटन में लगभग 40.81% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के दौरान आबंटन 10383.25 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि का केवल 21.6% था। समिति ने वर्ष 2023-24 के लिए विभाग की अनुदानों की मांगों की विस्तृत जांच की है।

## II. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए औषध विभाग के लिए प्रस्तावित और स्वीकृत वित्तीय परिव्यय

9. वर्ष 2023-24 के लिए औषध विभाग के लिए प्रस्तावित और अनुमोदित वित्तीय परिव्यय का योजना-वार विवरण और भिन्नता के कारण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

| क्र. सं. | योजना/गैर-योजना | प्रस्तावित ब.अ. 2023-24 | अनुमोदित ब.अ. 2023-24 | अनुमोदन का प्रतिशत और भिन्नताओं का कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सचिवालय आर्थिक सेवाएं **एमएच 3451 (गैर-योजना)** | **25.00** | **21.10** | - |
| 2. | राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) **एमएच 2852 (गैर-योजना)** | **23.50** | **18.90** | - |
| | **योजना** | | | |
| 3. | राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) एमएच 2852 | 1226.00 | 500.00 | परिसरों के विनिर्माण, प्रयोगशालाओं के उन्नयन, संकाय/कर्मचारियों को वेतन के भुगतान, अध्येतावृत्ति प्रदान करने और अन्य शैक्षणिक/प्रशासनिक व्यय के लिए आबंटन जीआईए-कैपिटल,जीआईए-जनरल और जीआईए-वेतन शीर्षों के अंतर्गत किया जाता है। आबंटन/व्यय में वार्षिक वृद्धि मुख्य रूप से नाईपरों (मोहाली और गुवाहाटी को छोड़कर) के नियमित परिसरों के विनिर्माण, उपकरणों कीखरीद,नियमित संकाय/कर्मचारियों के वेतन |
| | राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) एमएच2552 | 60.00 | 50.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | और छात्रों को फेलोशिप प्रदान करने के कारण हुई है।. विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नाईपर(एमएच 2852+ एमएच 2552) के लिए 500.00 करोड़ रुपये और 60.00 करोड़ रुपये, सीओई के लिए 200.00 करोड़ रुपये, सीओई के लिए 233.00 करोड़ रुपये, आर एंड डी परिषद के लिए 50.00 करोड़ रुपये और औषध क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार (पीआरआईपी) के प्रस्तावित संवर्धन के लिए 243.00 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। |
| | **कुल नाईपर (एमएच 2852+ एमएच 2552)** | **1286.00** | **550.00** | |
| 4. | **औषध उद्योग का विकास एमएच 2852** | | | |
| | (i )औषध संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस) (अब इसका नाम बदलकर (i) (i) (i) (i) औषध संवर्धन विकास योजना (पीएमपीडीएस)) कर दिया गया है | 5.00 | 4.00 | 80%<br><br>फार्मा और मेडटेक क्षेत्रों के अधिक बल देने वाले क्षेत्रों पर पहले से ही शुरू किए गए अध्ययनों को पूरा करने और औषध विभाग की चल रही योजनाओं पर प्रमुख जागरूकता कार्यक्रमों को सहायता देने और साथ ही वर्ष 2023 में वार्षिक फार्मा और मेडटेक कार्यक्रम आयोजित करने पर ध्यान संकेंद्रित किया गया है। यदि आवश्यकता अनुमोदित ब.अ. से अधिक होती है, तो उसे सं.अ. चरण में मांगा जाएगा। |
| | (ii)क्लस्टर विकास – 'साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता' (एपीआईसीएफ) के रूप में | 61.90 | 51.00 | 82.4%<br><br>अब तक, 2022 से पहले स्वीकृत 3 परियोजनाओं में से एक पूरी हो |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | पुनर्नामित | | | चुकी है और शेष दो की शीघ्र ही पूरी होने की आशा है। योजना अवधि के दौरान उपलब्ध बजट के लिए, पहले से ही 5 परियोजनाएं चयनित की गई और सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र जारी किया जा रहा है और पहली किस्त शीघ्र ही जारी होने की संभावना है। बजट अनुमान 2023-24 में निधियों का प्रस्ताव 7 परियोजनाओं के लिए दिए गए अनुमोदन पर आधारित था और पहली/दूसरी किश्त जारी करने के लिए 23-24 में नई परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की संभावना थी। यदि आवश्यकता अनुमोदित ब.अ. से अधिक होती है, तो उसे सं.अ. चरण में मांगा जाएगा। |
| | (iii)औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस) | 104.30 | 95.00 | 91.1%<br><br>हालांकि योजना के लाभों पर व्यापक आउटरीच का आयोजन किया गया था, वित्त वर्ष 22-23 में उदासीन प्रतिक्रिया थी (2023 में चार आवेदन प्राप्त हुए हैं जो जांच के अधीन हैं)। आशा है कि इस वित्तीय वर्ष 23-24 में अधिकांश आवेदकों का चयन किया जाएगा।<br><br>अतः 95 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।<br><br>यदि अधिकांश आवेदक कैपिटल सबवेंशन मोड का विकल्प चुनते हैं, तो राशि का भुगतान परियोजनाओं के पूरा होने के अंत में ही किया जाएगा।<br><br>उस स्थिति में, यह अनुमानित राशि अन्य योजनाओं के लिए समुचित रूप से पुनर्विनियोजित की जाएगी। |
| | **औषध उद्योग (एसपीआई) का कुल सुदृढ़ीकरण एमएच 2852 [(i)+(ii)+(iii)]** | **171.20** | **149.00** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन | 900.00 | 900.00 | बजट अनुमान 2023-24 में बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन संबंधी योजना के तहत 900 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव/आबंटन किया गया है। इस राशि का उपयोग अनुदान सहायता के रूप में साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं (सीआईएफ) के विनिर्माण के लिए 3 चयनित राज्यों में से प्रत्येक को 300 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त देने के लिए किया जाएगा। इसलिए, सकल बजट आबंटन में कोई भिन्नता नहीं है। |
| | चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन | 207.563 | 200.00 | पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं और यदि इसकी आवश्यकता होती है तो इसे सं.अ. चरण/अनुपूरक में मांगा जाएगा। |
| | **औषध उद्योग का कुल विकास (डीपीआई) का कुल एमएच2852** | **1278.763** | **1250.00** | |
| 5. | **उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना** | | | |
| | महत्वपूर्ण केएमएस/ड्रग इंटरमीडिएट्स और एपीआई के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना | 101.50 | 100.00 | 98.5%<br>वित्त वर्ष 2022-23 केमिकल सिंथेसिस आधारित बल्क औषधियों के उत्पादन का पहला वर्ष है।<br><br>लाभार्थियों द्वारा दिए गए अनुमानों के अनुसार आवेदकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2023-24 के लिए निधियां प्रस्तावित की गई थी।<br><br>यदि आवश्यकता अनुमोदित ब.अ. से अधिक होती है, तो उसे सं.अ. चरण में मांगा जाएगा। |
| | चिकित्सा उपकरण के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना | 102.00 | 100.00 | 98%<br>वित्त वर्ष 2022-23 चिकित्सा उपकरणों संबंधी पीएलआई योजना के उत्पादन का पहला वर्ष है।<br><br>लाभार्थियों द्वारा दिए गए अनुमानों के अनुसार आवेदकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2023-24 के लिए निधियां प्रस्तावित की गई थीं। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | यदि आवश्यकता अनुमोदित ब.अ. से अधिक होती है, तो उसे सं.अ. चरण में मांगा जाएगा। |
| | औषधों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना | 2203.20 | 1000.00 | 45.4%<br>वित्त वर्ष 2022-23 पीएलआई योजना के लिए उत्पादन का पहला वर्ष है और इसलिए, 694.20 करोड़ रुपये के सं.अ. का उपयोग अंतरिम-रिलीज़ (वित्तीय वर्ष के भीतर दाखिल किए जा रहे पात्र दावों का 75%) को संसाधित करने के लिए किए जाने का प्रस्ताव है।<br>पीएलआई आवेदकों ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 2200 करोड़ के कुल प्रोत्साहन दावों का अनुमान लगाया है (जिनमें से अधिकांश वित्त वर्ष 23-24 में जारी किए जाएंगे)। इसके अलावा, 2203 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाते हुए वित्त वर्ष 23-24 में उत्पादन के दावों के लिए अंतरिम रिलीज को भी शामिल किया गया है। जिसकी तुलना में 1000 करोड़ रुपये का ब.अ. आबंटित किया गया है किसी भी अन्य आवश्यकता को अनुपूरक मांगों से पूरा किया जाएगा. |
| | **कुल पीएलआई एमएच 2852** | **3514.263** | **1200.00** | |
| 6. | **जन औषधि (पीएमबीजेपी)एमए 2852** | 105.00 | 105.00 | प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) को जारी रखने से संबंधित टिप्पणी के मामले में कोई भिन्नता नहीं है। |
| | **जन औषधि (पीएमबीजेपी) एमएच 2552** | 10.00 | 10.00 | |
| | **कुल जन औषधि (पीएमबीजेपी) (एमएच 2852 + एमएच 2552)** | **115.00** | **115.00** | |
| 7. | उपभोक्ता जागरूकता प्रचार एवं मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) **एमएच2852** | | | |
| | परियोजना निगरानी संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) को सहायता | 5.00 | 4.00 | पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं और यदि इसकी आवश्यकता होती है तो इसे सं.अ. चरण/अनुपूरक में मांगा जाएगा। |
| | सीएपीपीएम के लिए विज्ञापन और प्रचार | 1.00 | 1.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **कुल सीएपीपीएम (एमएच 2852)** | **6.00** | **5.00** | |
| 8. | **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को सहायता एमएच6857** | | | |
| | इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) | 0.01 | 0.01 | |
| | हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) | 587.56 | 0.01 | |
| | बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) | 0.01 | 0.01 | |
| | बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड (बीआईएल) | 0.01 | 0.01 | |
| | राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) | | 0.01 | |
| | स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एसएसपीएल) | 0.01 | 0.01 | |
| | **कुल ऋण** | **587.61** | **0.06** | |
| | **कुल योग** | **5728.573** | **3160.06** | |

**एमएच 3451 सचिवालय आर्थिक सेवाओं (गैर-योजना) के लिए मुख्य शीर्ष।**
**एमएच 2852 एनपीपीए, नाईपर, जन औषधि योजनाओं, औषध उद्योग का विकास (डीपीआई), सीएपीपीएम के लिए मुख्य शीर्ष।**
**एमएच 2552 उत्तर पूर्व क्षेत्र - नाईपर, जन औषधि योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष।**
**एमएच 6857 पीएसयू योजना को सहायता के लिए मुख्य शीर्ष।**

10. समिति ने जानना चाहा कि क्या वर्ष 2023-24 के लिए बजट आबंटन विभिन्न योजनाओं/एनपीपीए/पीएसयू के संबंध में वास्तविक और वित्तीय दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पाया गया है। उत्तर में यह बताया गया है पीएमबीजेपी योजना के लिए आबंटित निधियां वित्तीय वर्ष 2023-24 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। नाईपर के लिए, परिसरों के निर्माण को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के मामले में, सं.अ. चरण पर इसकी मांग की जाएगी। बल्क औषधि पार्कों की संवर्धन योजना के तहत योजनाओं के संबंध में प्रभाग ने बजट अनुमान 2023-24 में बल्क औषधि पार्कों की संवर्धन योजना में 900 करोड़ रुपये की मांग की है। यह योजना के तहत परिकल्पित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। वित्तीय वर्ष 2022-23 सभी 3 पीएलआई योजनाओं के लिए उत्पादन का पहला वर्ष है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त होने वाले दावों के अनुमानों के आधार पर सभी 3 पीएलआई योजनाओं में 2023-24 के लिए निधियों को प्रस्तावित किया

गया था, जैसा कि परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा प्रस्तुत किया गया है। औषध संवर्धन विकास योजना (पीएमपीडीएस) /क्लस्टर विकास के संबंध में, जिसका नाम बदलकर 'साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता' (एपीआईआईसीएफ)/औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस उप-योजनाओं के रूप में रखा गया है, संबंधित उप-योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जाने वाली अनुमानित परियोजनाओं/योजनाओं/सेमिनारों के आधार पर बजट अनुमान 2023-24 में निधियों का प्रस्ताव किया गया था। सभी योजनाओं में, यदि आवश्यकता अनुमोदित बजट अनुमान से अधिक है, तो उसे संशोधित अनुमान 2023-24 में मांगा जाएगा।वर्ष 2023-24 के लिए निधियों का आबंटन इस समय एनपीपीए को भौतिक और वित्तीय दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है। हालाँकि, यदि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो संशोधित अनुमान चरण में अनुरोध किया जाएगा।जहां तक पीएसयू प्रभाग का संबंध है, किसी भी औषध पीएसयू द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए कोई निधि की मांग नहीं की गई है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के लिए ऋण के रूप में केवल 0.06 करोड़ रुपये का सांकेतिक आबंटन किया गया है।

### III. वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान उपयोग की तुलना में बजटीय आबंटन

11. विभिन्न बजट शीर्षों के तहत वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान कुल और योजना-वार बजट अनुमान (ब.अ.), संशोधित अनुमान (सं.अ.) और बजट आबंटन के वास्तविक उपयोग के संबंध में विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

**(Rs in crore)**

| | | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **सं.** | **राजस्व भाग** | **ब.अ** | **सं.अ** | **वास्तविक** | **ब.अ.** | **सं.अ.** | **वास्तविक** | **ब.अ.** | **सं.अ** | **20.02.2023 तक वास्तविक** |
| | **(गैर-योजना)** | | | | | | | | | |
| 1 | सचिवालय आर्थिक सेवाएं **(एमएच 3451)** | 15.50 | 14.45 | 14.40 | 16.73 | 15.98 | 15.54 | 18.56 | 18.56 | 14.93 |
| 2 | राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) **(एमएच 2852)** | 11.90 | 12.90 | 12.74 | 14.80 | 14.01 | 13.91 | 17.79 | 17.83 | 14.46 |
| | **(योजनागत )** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) **(एमएच 2552 + एमएच 2852)** | 202.4 | 333.8 | 333.83 | 234.3 | 372.00 | 372.0 | 395.0 | 422.0 0 | 231.05 |
| i | औषध संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस) | 1.00 | 0.50 | 0.49 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 3.00 | 0.52 |
| ii | क्लस्टर विकास | 12.0 | 7.23 | 7.22 | 18.00 | 15.61 | 9.89 | 36.00 | 32.0 | 8.18 |
| iii | औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस) | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | 62.00 | 1.00 | 0.00 |
| iv | साझा सुविधा केंद्र के लिए बल्क ड्रग उद्योग को सहायता | 21.52 | 1.69 | 1.6815 | 36.24 | 36.24 | 2.24 | - | - | - |
| v | साझा सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकर उद्योग को सहायता | 7.50 | 21.05 | 7.49 | 60.00 | 137.02 | 137.0 | - | - | - |
| vi | औषध क्षेत्र में अनुसंधान और विकास | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - |
| vii | महत्वपूर्ण केएमएस/ड्रग इंटरमीडिएट्स और एपीआई के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना | - | 1.555 | 1.55 | 2.79 | 2.79 | 2.18 | - | - | - |
| viii | चिकित्सा उपकरण के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना | - | 2.005 | 2.005 | 2.36 | 3.31 | 3.31 | - | - | - |
| | औषधों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 1.24 | - | - | - |
| ix | औषध उद्योग का विकास एमएच 2552 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - |
| 4 | **औषध उद्योग का विकास (एमएच 2852)** | **42.05** | **34.05** | **20.44** | **124.4** | **200.00** | **157.0** | **100.0** | **36.0** | **8.47** |
| i | बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देना पूर्व में साझा सुविधा केंद्र के लिए बल्क ड्रग उद्योग को सहायता | - | - | - | - | - | - | 900.0 | 900.0 0 | 526.49 |
| ii | महत्वपूर्ण केएमएस/ड्रग इंटरमीडिएट्स और एपीआई के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना | - | - | - | - | - | - | 390.0 | 14.6 | 0.50 |
| iii | चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन पूर्व में साझा सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकर उद्योग को सहायता | - | - | - | - | - | - | 120.0 | 32.9 | 0.90 |
| iv | चिकित्सा उपकरण के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना | - | - | - | - | - | - | 216.0 | 21.5 | 2.30 |
| v | औषधों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 694.2 0 | 288.42 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **उत्पादनसम्बद्ध प्रोत्साहन(पीएलआई)(एमएच 2852)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **1629.0** | **166320** | **470.93** |
| 6 | जन औषधि योजना (पीएमबीजेपी) **(एमएच 2552 + एमएच 2852)** | 50.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 68.50 | 68.50 | 72.50 | 100.00 | 97.20 |
| 7 | उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) **(एमएच 2852)** | 4.50 | 3.00 | 2.60 | 6.00 | 4.50 | 2.82 | 6.00 | 3.75 | 1.48 |
| | **आईडीपीएल (889.50 करोड़ रुपये औ बीसीपीएल (193.71 करोड़) वित्त वर्ष 2 22 के संबंध में औषध के संबंध में ब खाता/घाटे की छूट।** | -- | | | | | | | | |
| | **प्रथम एसडीजी 22-23 वित्तीय वर्ष 22-23 में राजस्व भाग के तहत राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटे (आरडीपीएल)** | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | |
| 8 | **पूंजी भाग (एमएच 6857)** | | | | | | | | | |
| | **(पीएसयू को सहायता)** | | | | | | | | | |
| | इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) | 0.01 | 2.23 | 2.23 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) | 4.74 | 2.52 | 2.52 | 4.09 | 122.09 | 122.09 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| | बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - |
| | बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड (बीआईएल | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - |
| | राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 24.00 | 21.00 | 0.01 | 0.01 | - |
| | स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एसएसपीएल) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | - |
| | **कुल (पीएसयू को ऋण)** | **7.18** | **7.18** | **7.15** | **9.12** | **148.12** | **145.09** | **5.30** | **5.30** | **5.26** |
| | **कुल योग** | **333.5** | **470.4** | **456.16** | **470.4** | **823.11** | **774.94** | **2244.5** | **226854** | **843.78** |

12. यह देखा गया है कि वर्ष 2022-23 के दौरान कुल बजट अनुमान (ब.अ.) आबंटन 2244.15 करोड़ रुपये था जो संशोधित अनुमान (सं.अ.), 2022-23 पर बढ़कर 2268.54 करोड़ रुपये हो गया। यह पूछे जाने पर कि क्या विभाग विभिन्न योजनाओं/एनपीपीए के लिए वर्ष के दौरान रखे गए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों दोनों की प्राप्ति के लिए बढ़े हुए आबंटन का उपयोग कर पाएगा। उत्तर में यह बताया गया है कि

पीएमबीजेपी योजना के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा।नाईपर के लिए आबंटित 422.00 करोड़ रुपये की राशि में से दिनांक 31.01.2023 तक 231.05 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है। चूंकि 4 परिसरों के विनिर्माण के लिए निविदाएं अंतिम रूप देने के अंतिम चरण में हैं, आबंटित धन का उपयोग विनिर्माण और अन्य खर्चों के लिए किया जाएगा। बल्क ड्रग पार्क योजना के प्रचार के अंतर्गत, वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित 900 करोड़ रुपये में से तीन राज्यों को 299.25 करोड़ रुपये और पीएमए को 2.25 करोड़ रुपये दिए जाने हैं। योजना के अंतर्गत 3 राज्योंका चयन केवल अक्टूबर/नवंबर, 2022 में किया गया है। पहली किश्त एक राज्य को जारी की जा चुकी है और शेषदोराज्यों के लिए, यह वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। पीएलआई योजनाओं के संबंध में, योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए, अंतरिम दावों/प्रोत्साहनों का संवितरण वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में दिसंबर 2022 तक प्राप्त अर्धवार्षिक या तीन-तिमाही दावों के विरुद्ध जारी करने का प्रस्ताव था, जो अन्य पात्र शर्तों जैसे न्यूनतम सीमा बिक्री/निवेश की संतुष्टि के अधीन था। तदनुसार, अभी तक औषध के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत चार पात्र आवेदकों को 165.74 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पीएमए द्वारा अनुमानित दावों के अनुमान के अनुसार वर्ष 2023-24 में पीएलआई योजनाओं के लिए धन की मांग की गई थी। पीएमपीडीएस/एपीआईसीएफ/पीटीयूएएस उप-योजनाओं के संबंध में, नई चयनित परियोजनाओं के लिए वास्तविक रिलीज के अनुमानों के आधार पर निधियों को सं.अ. 2022-23 में संशोधित किया गया था। पीएमपीडीएस/एपीआईसीएफ/पीटीयूएएस उप-योजनाओं के संबंध में, संबंधित उप-योजनाओं के अंतर्गत समर्थित होने वाली अनुमानित परियोजनाओं/योजनाओं/संगोष्ठियों के आधार पर ब.अ. 2023-24 में धनराशि प्रस्तावित की गई थी। सभी योजनाओं में, यदि आवश्यकता अनुमोदित ब.अ. से अधिक है, तो उसे सं.अ. 2023-24 में मांगा जाएगा। एनपीपीए ने बजट अनुमान 2022-23 (23.79 करोड़ रुपये) की तुलना में सं.अ. 2022-23 (21.58 करोड़ रुपये) में कम धनराशी मांगी गई है। यह कहा गया है कि एनपीपीए उक्त निधि/आबंटन के भीतर वर्ष के दौरान भौतिक और वित्तीय दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होगा।

13. उन प्रक्रियात्मक और वित्तीय सुधारों के बारे में जिन्हें औषधि विभाग ने विभिन्न योजना शीर्षों के तहत प्रभावी बजट उपयोग बढ़ाने के लिए शामिल किया है या शामिल करने जा रहा है, यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत,निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए कार्यान्वयन एजेंसी जो भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) और विभाग द्वारा योजना की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा, आईएफसीआई लिमिटेड बल्क ड्रग्स के लिए पीएलआई योजना और चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना को लागू करने के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) है। सीईओ, नीति आयोग की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) योजना के तहत उनके निवेश, रोजगार सृजन और उत्पादन और पीएलआई आवेदकों को उनके पात्र प्रोत्साहन जारी करने के संबंध में योजनाओं की आवधिक समीक्षा करती है। ईसी पीएमए की सिफारिशों के आधार पर प्रोत्साहन के वितरण के दावों पर विचार करता है और उनका अनुमोदन करता है तत्पश्चात, सिडबी औषध के लिए पीएलआई योजना को लागू करने के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) है। इस योजना की निगरानी विभाग स्तर पर की जाती है, जिसमें सचिव, औषध विभाग की अध्यक्षता में एक समिति होती है। यह समिति योजना के तहत उनके निवेश, रोजगार सृजन और उत्पादन

और पीएलआई आवेदकों को उनके पात्र प्रोत्साहन जारी करने के संबंध में योजनाओं की आवधिक समीक्षा करती है। "औषध उद्योग के सुदृढ़ीकरण" संबंधी योजना को लागू करने के लिए सिडबी को परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में चुना गया है।औषध उद्योग को साझा सुविधाओं के लिए सहायता (एपीआई-सीएफ), औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस) और औषध संवर्धन विकास योजना (पीएमपीडीएस) जैसे तीन घटकों वाली इस योजना की निगरानी औषध विभाग के सचिव की अध्यक्षता में योजना संचालन समिति (एसएससी) द्वारा की जाती है। एसएससी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा प्रदान करती है, जो प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुशंसा करती है और अनुमोदित परियोजनाओं में किसी भी विचलन पर निर्णय लेती है। वर्ष 2022-23 में, इस विभाग ने योजना के सुचारू कार्यान्वयन और बजट के प्रभावी उपयोग के लिए आवेदकों द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रोत्साहन दावों और विशिष्ट सरकारी हस्तक्षेप, यदि कोई हो, की स्थिति के संबंध में सचिव/संयुक्त सचिव स्तर पर पीएमए और पीएलआई लाभार्थियों के साथ संवाद सत्रों की श्रृंखला आयोजित की। बजट के प्रभावी उपयोग के लिए 2023-24 में यथावश्यकता अनुसार इसी तरह के कार्यकलाप किए जाएंगे। प्रक्रियात्मक और वित्तीय दोनों मामलों में एक व्यवसायिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए इस विभाग ने बल्क ड्रग पार्कों के संवर्धन की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक व्यवसायिक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) को नियुक्त किया है।

## IV. योजना-वार विश्लेषण

### (क) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)-(मुख्य शीर्ष 2552 + 2852)

14. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) राष्ट्रीय महत्व के स्वायत्त संस्थान हैं, जिन्हें स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शिक्षा प्रदान करने और औषध विज्ञान की विभिन्न विशेषज्ञताओं में अनुसंधान करने के लिए 1998 में संसद में पारित एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। दिसंबर, 2021 में 1998 अधिनियम में संशोधन के साथ, संस्थानों को स्नातक, एकीकृत, डिप्लोमा और ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स चलाने का अधिकार दिया गया है।

15. वर्तमान में, मोहाली, अहमदाबाद, हैदराबाद, हाजीपुर, गुवाहाटी, रायबरेली और कोलकाता में सात कार्यात्मक नाईपर स्थापित किए गए हैं। 'फार्मेसी' श्रेणी के लिए शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ), 2022 के अनुसार, देश में शीर्ष 10 में तीन एनआईपीईआर और शीर्ष 20 में चार हैदराबाद (2), मोहाली (4), और अहमदाबाद (10) हैं। सभी एनआईपीईआर में स्वीकृत

नियमित संकाय और प्रशासनिक पदों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार भर दिया गया है। नाईपर गुवाहाटी का परिसर निर्माण पूरा हो गया है, नाईपर अहमदाबाद में लगभग 60% निर्माण पूरा हो चुका है और सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से कोलकाता, हाजीपुर और रायबरेली में नाईपर के परिसरों के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (एएएंडईएस) और एनपीसीसी के माध्यम से हैदराबाद में जारी कर दी गई है और निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

16. वर्ष 2023-24 के लिए, विभाग ने नाईपर योजना के लिए कुल 1286.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया था, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य शीर्ष 2852 और मुख्य शीर्ष 2552 के तहत नाईपर के लिए क्रमशः 500.00 करोड़ रुपये और 60.00 करोड़ रुपये में वितरित किया गया है, फिर राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण और शिक्षा संस्थान (एनआईएमईआर) के लिए 200.00 करोड़ रुपये, उत्कृष्टता केंद्रों के लिए 233.00 करोड़ रुपये। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए फार्मा-मेडटेक सेक्टर (आईसीपीएमआर) में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार परिषद के लिए 50.00 करोड़ रुपये और फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार (पीआरआईपी) के प्रस्तावित संवर्धन के लिए 243.00 करोड़ रुपये। हालांकि, नाईपर की मौजूदा योजना के लिए केवल 550.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

17. बजट 2023-24 के रूप में, '(i) फार्मा इनोवेशन (बजट 2023-24, पैरा 30) के संबंध में घोषणाएं की गई हैं: औषध में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के माध्यम से शुरू किया जाएगा ताकि उद्योग को विशिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, और (ii) चिकित्सा उपकरणों के लिए बहु-विषयक पाठ्यक्रम (बजट 2023-24, पैरा 31): भविष्य की चिकित्सा प्रौद्योगिकियों, उच्च विनिर्माण और अनुसंधान के लिए कुशल जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों के लिए समर्पित बहु-विषयक पाठ्यक्रमों का समर्थन किया जाएगा।

18. इसके अनुसरण में, विभाग ने फार्मा-मेडटेक क्षेत्र (पीआरआईपी) में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना के लिए आर्थिक वित्त समिति (ईएफसी) के विचारार्थ एक प्रस्ताव भेजा है, जिसके निम्नलिखित दो घटक हैं, अर्थात् (i) नाईपर में 7 सीओई की स्थापना करके अनुसंधान अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और (ii) नई रासायनिक संस्थाओं, बायोसिमिलर सहित जटिल जेनरिकों, चिकित्सा उपकरणों, स्टेम सेल थेरेपी, ऑर्फन दवाओं, एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध आदि जैसे छह दूरगामी क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करके औषध क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, जिसमें सरकारी संस्थानों और इन-हाउस आरएंडडी के लिए काम करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का 5 वर्ष की अवधि के लिए परिव्यय 7150 करोड़ रुपये है। पृथक रूप से, मौजूदा संस्थाओं में चिकित्सा उपकरणों के लिए समर्पित बहु-विषयक पाठ्यक्रमों के समर्थन के संबंध में बजट घोषणा के

अनुरूप, यह विभाग एक योजना तैयार कर रहा है, जिसे उपयुक्त एजेंसी के मूल्यांकन के लिए रखा जाएगा।इसके अलावा फार्मा-मेडटेक सेक्टर में भारतीय अनुसंधान एवं विकास और नवाचार परिषद (आईसीपीएमआर) की स्थापना का प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा विचार किए जाने से पहले स्थापना व्यय समिति (सीईई) को भेजा जा रहा है। ये नई पहलें फार्मा और मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने में सहयोग करेंगी जिससे भारत को नई दवाओं और प्रौद्योगिकियों के विकास में एक अग्रणी शक्ति बनने में मदद मिलेगी, आयात पर निर्भरता कम होगी, इस क्षेत्र में रोजगार सृजन होगा और औषध और मेडटेक क्षेत्रों के क्षेत्र में "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी।

19. आगामी वर्ष 2023-24 के दौरान इस योजना के तहत बजटीय चुनौतियों के बारे में, समिति को साक्ष्य के दौरान अवगत कराया गया कि वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए मांगे गए 4300.00 करोड़ रुपये के मुकाबले, आर्थिक वित्त समिति (ईएफसी) ने केवल 1500 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। आबंटन में कमी पर टिप्पणी करते हुए, डीओपी के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार कहा:

*''मूल रूप से चुनौतियां आवश्यक निधि के प्रावधान को लेकर थीं। वर्तमान बजट में, जैसा कि सचिव महोदया पहले ही संकेत दे चुकी हैं, दो योजनाएं हैं। एक औषध क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए है; और दूसरा मौजूदा संस्थाओं में चिकित्सा उपकरण पाठ्यक्रम चलाने के लिए है। एक अन्य प्रस्ताव यह है कि हमारे अधिदेश के अनुसार, विभाग ने अनुसंधान के संवर्धन और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है। हम फार्मा और मेडटेक क्षेत्र में नवाचार में अनुसंधान और विकास के लिए एक परिषद स्थापित करने का भी इरादा रखते हैं।*

20. इस संबंध में, सचिव, औषध विभाग ने नाईपर योजना के तहत एक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की आवश्यकता के बारे में भी उल्लेख किया है:

*"सर, यही बात है। आपने कहा कि औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर ऐसे कई संस्थान हैं जिनमें औषध अनुसंधान है जबकि हमारे पास अंतर-विभागीय समन्वय का अधिदेश है। हम समिति के समर्थन की सराहना करेंगे। हम आईसीएमआर या आईसीएआर की तर्ज पर फार्मा मेडटेक में भारतीय अनुसंधान और विकास और नवाचार परिषद की स्थापना करना चाहते हैं।''*

21. नाईपर की तर्ज पर राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईएमईआर) के निर्माण के लिए ब. अ. 2023-24 चरण में 200.00 करोड़ रुपये का आबंटन न करने के संबंध में यह उत्तर दिया गया है कि विभाग एक योजना तैयार कर रहा है, जिसे उपयुक्त एजेंसी के मूल्यांकन के लिए रखा गया है और योजना के अनुमोदन के आधार पर वित्त मंत्रालय से धन का आबंटन/संवितरण मांगा जाएगा।

22. बजट अनुमान (ब.अ.), संशोधित अनुमान (सं.अ.), पिछले 3 वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय और वर्ष 2023-24 के लिए योजना के तहत प्रस्तावित और अनुमोदित ब.अ. आबंटन के विवरण निम्नानुसार हैं:

**(करोड़ रुपये में)**

| वर्ष | ब.अ. | % वृद्धि | सं.अ. | % वृद्धि | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| **2019-20** | 150.00 | - | 160.01 | - | 160.01 |
| **2020-21** | 202.45 | 34.94 | 333.82 | 108.62 | 333.82 |
| **2021-22** | 234.34 | 15.75 | 372.00 | 11.43 | 372.00 |
| **2022-23** | 395.00 | 68.55 | 422.00 | 6.18 | 177.30* |
| **2023-24** | 550.00# | - | - | - | - |
| | | | | | |

*** 31.12.2022 तक # प्रस्तावित ब. अ. 1286.00 करोड़ रु. है।**

23. साक्ष्य के दौरान, समिति ने यह जानकार अपनी चिंता व्यक्त की कि यद्यपि नाईपर संस्थान राष्ट्रीय महत्व के हैं, लेकिन उन्हें आबंटित निधि का कम उपयोग किया गया है, क्योंकि 2022-23 के दौरान आबंटित 422.00 करोड़ रुपये में से, दिनांक 31.12.2022 तक केवल 177.30 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है और इसके कारणों को जानना चाहती थी। इस पर, सचिव, डीओपी ने निम्नानुसार प्रतिक्रिया व्यक्त की:

*"पहली बात , चालू वित्तीय वर्ष में 422.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में हमने 231.00 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और अभी 190.00 करोड़ रुपये शेष हैं । सीपीडब्ल्यूडी द्वारा तीन नाईपरों के लिए निविदा जारी की जानी हैं । एक निविदा जारी की गई है । दूसरी एक दो दिन में जारी की जाएगी । कोलकाता के संबंध में तीसरी निविदा मार्च में जारी की जाएगी । अतः लगभग 150.00 करोड़ रुपये इन नाईपरों के निर्माण के लिए है जिसके बारे में मैंने बताया था कि एक निविदा जारी की गई है, एक निविदा इस सप्ताह अथवा अगले सप्ताह की शुरूआत में जारी की जानी है और तीसरी मार्च में जारी की जाएगी । इस प्रकार, हम कार्य शुरू कर पाएंगे और व्यय दर्शाएंगे।"*

24. इस संदर्भ में, सचिव ने आगे निम्नवत बताया:

*"गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रक्रियागत विलंब हुआ क्योंकि गत तीन वर्षों में हम अपने आबंटन का लगभग 94 प्रतिशत, 96 प्रतिशत और 98 प्रतिशत खर्च कर पाए हैं । इस वर्ष, वित्त मंत्रालय ने नाईपर जैसे स्वायत्तशासी संस्थानों के लिए अनुदान जारी करने की नई प्रक्रिया शुरू की है । उन्हें केन्द्रीय नोडल खाता खोलने की जरूरत है । इसमें कुछ समय लगा । अब यह प्रक्रिया पूरी हो गई है । हम निधियां जारी करने की स्थिति में हैं जो कि पिछली दो तिमाहियों में रूक गई थी । मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस वर्ष व्यय संबंधी लक्ष्य सार्थक रूप में प्राप्त कर पाएंगे।"*

### (ख) उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन(पीएलवाई) योजना- (मुख्य शीर्ष 2852)

25. समिति ने पाया है कि डीओपी तीन पीएलआई योजनाएं अर्थात क) भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआई)/एक्टिव औषध इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए ख) चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजना; (ग) मुख्य शीर्ष-2852 के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के रूप में औषध के लिए पीएलआई योजना कार्यान्वित करता है। उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं में से एपीआई और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजनाओं

को सरकार द्वारा 20 मार्च 2020 को अनुमोदित किया गया था और योजना के दिशानिर्देश 29.10.2020 को जारी किए गए थे। औषध के लिए तीसरी पीएलआई योजना के संबंध में इसे 24.02.2021 को मंजूरी दी गई थी और योजना दिशानिर्देश 01.06.2021 को जारी किए गए थे। विभाग ने तीन पीएलआई योजनाओं के लिए 2023-24 के लिए बजट आबंटन के रूप में 3514.26 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने केवल 1200.00 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं।

26. समिति यह जानकर अप्रसन्न थी कि पीएलआई योजनाओं पर वर्ष 2022-23 के दौरान बजट अनुमान आबंटनों का लगभग शून्य उपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्त मंत्रालय द्वारा सभी तीन पीएलआई योजनाओं में संशोधित अनुमान, 2022-23 में आबंटन में कटौती की गई और इस पर स्पष्टीकरण मांगा। उत्तर में, सचिव ने निम्नवत जानकारी दी:

*" महोदय, पीएलआई स्कीम में एक वर्ष और दो वर्ष की परिपक्वता अवधि होती है और इसके बाद उत्पादन की अवधि होती है और प्रोत्साहन को जारी करने की अवधि आती है । हमने 2022-23 में प्रोत्साहन जारी करने के लिए प्रावधान किए हैं जबकि 2022-23 उत्पादन वर्ष था । अतः वास्तव में हमें यह प्रावधान अगले वर्ष करना चाहिए था ।"*

27. इस संदर्भ में, सचिव ने आगे विस्तार से बताया :

*"महोदय, आरंभ में योजना के दिशानिर्देशों में हमने यह संकल्पना की थी कि वे वर्ष में उत्पादन पूरा कर लेंगे, लेखापरीक्षित विवरण सहित दस्तावेज आदि प्रस्तुत करेंगे । इसके बाद, हम अगले वर्ष वार्षिक आधार पर प्रोत्साहन जारी करेंगे । जिस दृष्टिकोण का आपने अभी उल्लेख किया है उसके आधार पर हमने उन्हें छह महीने में अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा है । इसके दो कारण हैं । एक तो यह कि हमने प्रावधान किया था जिसे वास्तव में हमें अगले वर्ष के लिए करना चाहिए था परंतु हमने प्रावधान किया था, इसलिए हम धन जारी कर सकते थे । दूसरी बात यह कि यह एक प्रायोगिक प्रक्रिया थी ताकि वे प्रलेखन के आदि हो जाएं और असम्बद्ध दस्तावेजों को छोड़कर सही दस्तावेज प्रस्तुत कर पाएं । हमारे पीएमए उन्हें सहायता प्रदान करते हैं ताकि छोटी धनराशि के लिए वे रास्ता बना सकें और अपने दावे प्रस्तुत कर सकें । तथापि, हमने यह पाया कि बल्क औषधि के मामले में प्रदान की गई धनराशि की तुलना में बिक्री और उत्पादन कम था । अतः हमने आंतरिक पुनराबँटन किया । अब अपने पुनराबँटन में बल्क औषधि के लिए पीएलआई हेतु हमने केवल 14 करोड़ रुपये रखे हैं जैसा कि आप दूसरे कालम में देख सकते हैं, क्योंकि यह उनके उत्पादन का पहला वर्ष है । वास्तव में, किण्वन आधारित संयंत्र के लिए यह आगामी वर्ष से होगा । हमें जो भी दावे प्राप्त होंगे हम 14 करोड़ रुपये में से उनके लिए राशि जारी कर पाएंगे । चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई हेतु हमने केवल तीन कपनियां ली हैं जिन्होंने 60 करोड़ रुपये के बिक्री स्तर को प्राप्त किया है । ये वे तीन कंपनियां हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है । प्रत्येक कंपनी 8 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी । इस प्रकार हम धनराशि का उपयोग कर पाएंगे । औषध के संबंध में हमें 538 करोड़ रुपये के दावे प्राप्त हुए हैं; इस बारे में हमने 694 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । जो भी कागजात प्रस्तुत करने की स्थिति में है हम उन्हें तीसरी तिमाही के लिए और दावे प्रस्तुत करने के लिए कह रहे हैं । तथापि, हमारे पास पूर्णतया लेखापरीक्षित विवरण नहीं होगा, हमें केवल दावों की लेखापरीक्षा करनी होगी । हमारी योजना 75 प्रतिशत दावों के संबंध में धनराशि जारी करने की है और हमारी 694 करोड़ रुपये के व्यय के स्तर को प्राप्त करने की योजना है।"*

28. सचिव ने आगे निम्नवत बताया:

*"दूसरी बात यह है कि विलंब का कारण यह था कि हमें एक बार यह धनराशि जारी करने के लिए व्यय विभाग से छूट लेनी थी । अब एक नई प्रक्रिया है जिसमें हम एक बार में वार्षिक परिव्यय की केवल 25 प्रतिशत राशि जारी कर सकते हैं । हमने जनवरी में यह छूट प्राप्त कर ली है । इस प्रकार, हम अपना कार्य कर रहे हैं।"*

**(i) भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआई) और एक्टिव औषध इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना-(मुख्य शीर्ष 2852)**

29. इस योजना में चयनित 41 प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआई) और एक्टिव औषध इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) निर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। 41 उत्पादों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में से होना चाहिए-

i. लक्ष्य खंड I-प्रमुख किण्वन आधारित केएसएम/डीआई
ii. लक्ष्य खंड II-प्रमुख किण्वन आधारित विशिष्ट केएसएम/डीआई
iii. लक्ष्य खंड III–रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/डीआई
iv. लक्ष्य खंड IV–अन्य रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/डीआई/एपीआई.

30. इस योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-2021 से 2029-30 तक है, जिसमें कुल वित्तीय परिव्यय 6,940 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन छह (06) वर्षों के लिए 41 पहचाने गए उत्पादों की बिक्री पर नीचे दी गई दरों पर प्रदान किया जाएगा:

i. किण्वन आधारित उत्पादों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रोत्साहन 20%, 2027-28 के लिए प्रोत्साहन 15% और 2028-29 के लिए प्रोत्साहन 5% होगा।
ii. रासायनिक संश्लेषण आधारित उत्पादों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2027-28 के लिए प्रोत्साहन 10% होगा।

31. इसके अलावा, बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई), वास्तविक व्यय और पिछले 3 वर्षों के दौरान व्यय में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि और वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित और अनुमोदित बजट अनुमान आबंटन के विवरण निम्नवत हैं:

**(करोड़ रु में)**

| वित्तीय वर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय | प्रतिशत वृद्धि/कमी |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2020-2021** | 00 | 1.55 | 1.55 | 155% |
| **2021-2022** | 2.79 | 2.79 | 2.18 | 80% |
| **2022-2023** | 390.00 | 14.61 | 0.50 | 423.65% |
| **2023-2024** | 100.00# | एनए | एनए | 584% |

**# प्रस्तावित ब. अ. 98.79 करोड़ रु. है**

32. जब समिति ने योजना के लिए आबंटन को बजट अनुमान, 2022-23 से घटाकर संशोधित करने के कारणों के बारे में पूछा, तो संशोधित अनुमान स्तर पर 390.00 करोड़ रुपये से घटाकर 14.61 करोड़ रुपये कर दिया गया और 0.50 करोड़ रुपये का बेहद कम उपयोग किया गया, विभाग ने अपने उत्तर में कहा है कि वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 रासायनिक संश्लेषण आधारित थोक दवाइयों के उत्पादन का पहला वर्ष है और वित्त वर्ष 2023-24 किण्वन आधारित थोक दवाइयों के उत्पादन का पहला वर्ष है। बालक ड्रग के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत, दिसंबर, 2022 तिमाही समीक्षा रिपोर्ट (क्यूआरआर) के अनुसार 22 परियोजनाओं को शुरू किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में और संयंत्र शुरू होने की संभावना है। योजना के दिशा-निर्देशों के खंड 15.2 के अनुसार, आवेदक छमाही या वार्षिक आधार पर प्रोत्साहनों के संवितरण के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है। चयनित आवेदकों द्वारा प्रोत्साहन का दावा करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) परामर्श के बाद आवेदकों के साथ साझा की गई है। प्रारंभ में वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए बजट अनुमान वार्षिक आवश्यकता के आधार पर अनुमानित किया गया था, जिसका वित्त वर्ष के अंत के बाद दावा किया जाना है। न्यूनतम प्रारंभिक बिक्री/निवेश जैसी अन्य पात्र शर्तों की संतुष्टि के अधीन दिसंबर, 2022 तक प्राप्त अर्धवार्षिक या तीन तिमाहियों के दावों को पूरा करने के लिए सं.अ. 22-23 में उचित रूप से पुनर्विनियोजन किया गया। चूंकि वित्त वर्ष 2023-24 में अधिकांश प्रोत्साहन दावों की उम्मीद है, तदनुसार दावों के वितरण के लिए 2023-24 में निधियों की मांग की गई थी।

33. बल्क ड्रग /एपीआई के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता का उल्लेख करते हुए साक्ष्य के दौरान समिति ने वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा। सचिव ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

*"महोदय, हम 500 से अधिक एपीआई और लगभग 60,000 जेनरिक दवा सूत्रयोगों का उत्पादन कर रहे हैं । आपने एपीआई के मामले में निर्भरता का उल्लेख किया था । 41 एपीआई के मामले में हम 85 प्रतिशत या इससे अधिक की सीमा तक चीन पर निर्भर हैं । कुल मिलाकर हमारा एपीआई उद्योग अच्छा है । परंतु कुछ अन्य चीजें हैं जिनके बारे में हम 50 प्रतिशत अथवा 60 प्रतिशत तक निर्भर हैं ।"*

34. इसके अलावा, समिति ने यह भी पूछा की कि क्या विभाग ने उद्योग जगत के परामर्श से इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित 41 उत्पादों की समीक्षा करने के बारे में सोचा है क्योंकि एपीआई की मांग और बिक्री बाजार गतिशीलता के अधीन है और उनसे समिति के इस सुझाव पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा। विभाग ने बताया है कि वर्तमान योजना तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें इन उत्पादों की निर्भरता एक ही देश से 85% से अधिक है। तदनुसार, औषध

विभाग ने योजना के अंतर्गत 41 उत्पादों को अधिसूचित किया है। अभी तक, उत्पादों को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है।

### (ii) चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई एमडी)-(मुख्य शीर्ष 2852)

35. घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनमें पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और रसद में बाधाएं, वित्त की उच्च लागत, गुणवत्ता बिजली की अपर्याप्त उपलब्धता, सीमित डिजाइन क्षमताएं और अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास पर कम निवेश शामिल हैं। अन्य प्रमुख विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में इन चुनौतियों में से कुछ का समाधान करने के लिए, 20 मार्च, 2020 को भारत सरकार द्वारा 'चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना' को मंजूरी दी गई थी। योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश 29.10.2020 को जारी किए गए थे।

36. यह योजना केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर लागू है और इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करना है। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2027-28 तक है, जिसमें कुल वित्तीय परिव्यय 3,420.00 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत, चयनित कंपनियों को भारत में निर्मित चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री के 5% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा और योजना के लक्षित खंडों के तहत पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रोत्साहन का विवरण निम्नानुसार है:

| आवेदक की श्रेणी | संबंधित वित्त वर्ष के लिए निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन की दर | प्रोत्साहन की दर |
|---|---|---|
| श्रेणी क | वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 | प्रति आवेदक 121 करोड़ रुपये के 5% तक सीमित |
| श्रेणी ख | वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 | प्रति आवेदक 40 करोड़ रुपये के 5% तक सीमित |

37. योजना के तहत उत्पादों को निम्नलिखित चार लक्ष्य खंडों के तहत वर्गीकृत किया गया है-

i. कैंसर केयर/रेडियो थैरेपी चिकित्सा उपकरण।

ii. रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण (आयनीकरण और गैर-आयनीकरण विकिरण उत्पाद दोनों) और परमाणु इमेजिंग उपकरण।

iii. एनेस्थेटिक्स और कार्डियो-रेस्पिरेटरी चिकित्सा उपकरण जिनमें कार्डियो रेस्पिरेटरी श्रेणी और रेनल केयर चिकित्सा उपकरण के कैथेटर शामिल हैं।

iv. प्रत्यारोपण योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित एआईआई प्रत्यारोपण.

38. इस योजना के तहत कुल 42 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 1,058.97 करोड़ रुपये के कुल प्रतिबद्ध निवेश के साथ 21 आवेदनों को अनुमोदित किया गया है और लगभग 6,411 व्यक्तियों के रोजगार सृजन की उम्मीद है।

39. गत 3 वर्षों के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई), वास्तविक व्यय और व्यय में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि और वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित और अनुमोदित बजट अनुमान आबंटन निम्नानुसार हैं:

**(करोड़ रु में)**

| वित्तीय वर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय | प्रतिशत वृद्धि/कमी |
|---|---|---|---|---|
| **2020-2021** | 00 | 2.005 | 2.005 | 200% |
| **2021-2022** | 2.36 | 3.31 | 3.31 | 65.08 |
| **2022-2023** | 216.00 | 21.56 | 1.71 | 551% |
| **2023-2024** | 100.00 | एनए | एनए | 364% |

40. वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान चरण में 216.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 21.56 करोड़ रुपये कर दिया गया था और केवल 1.71 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। इसलिए समिति ने 2022-23 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय आंकड़ों में भिन्नता के कारणों के बारे में पूछा, जिस पर विभाग ने यह उत्तर दिया कि वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए पीएलआई योजना का प्रथम वर्ष है। चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत दिसंबर 2022 की तिमाही समीक्षा रिपोर्ट (क्यूआरआर) के आधार पर 34 उत्पादों के लिए 14 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अधिक उत्पादों के वित्त वर्ष 2023-24 में शुरू होने की संभावना है।योजना के दिशा-निर्देशों के खंड 15.2 के अनुसार, आवेदक छमाही या वार्षिक आधार पर प्रोत्साहनों के संवितरण के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है। चयनित आवेदकों द्वारा प्रोत्साहन का दावा करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) परामर्श के बाद आवेदकों के साथ साझा की गई है। प्रारंभ में वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए बजट अनुमान वार्षिक आवश्यकता के आधार पर अनुमानित किया गया था, जिसका वित्त वर्ष के समाप्ति के बाद दावा किया जाना है। न्यूनतम प्रारंभिक बिक्री/निवेश जैसी अन्य पात्र शर्तों को पूरा करने के अधीन दिसंबर 2022 तक प्राप्त अर्धवार्षिक या तीन तिमाहियों के दावों को पूरा करने के लिए सं.अ. 22-23 में उचित रूप से पुनर्विनियोजन किया गया

41. इसके अलावा, समिति ने 2023-24 के दौरान योजना पर 100.00 करोड़ रुपये का उपयोग करने की योजनाओं के बारे में भी जानना चाहा, विभाग ने कहा कि चूंकि अधिकांश प्रोत्साहन दावे वित्त वर्ष

2023-24 में अपेक्षित हैं, तदनुसार दावों के वितरण के लिए 2023-24 में धन की मांग की गई थी। चयनित आवेदकों के साथ परामर्श और उनके द्वारा पीएमए को प्रस्तुत बिक्री अनुमानों के आधार पर 100.00 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मांगा गया है।

**(iii) औषध के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई 2.0)- (मुख्य शीर्ष 2852)**

42. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24.02.2021 को इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर और औषध क्षेत्र में उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के लिए उत्पाद विविधीकरण में योगदान करके भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को मंजूरी दी। इस योजना में निम्नलिखित तीन श्रेणियों के तहत औषध वस्तुओं को शामिल किया गया है-

**श्रेणी 1**: बायोफार्मास्यूटिकल्स; जटिल जेनेरिक दवाएं; पेटेंट की गई दवाएं या जो दवाएं पेटेंट समाप्ति के करीब हैं; सेल-आधारित या जीन थेरेपी दवाएं; ऑर्फन दवाएं; एचपीएमसी, पुलुलन, एंटरिक आदि जैसे विशेष खाली कैप्सूल; जटिल एक्सिपिएंट; फाइटो-फार्मास्यूटिकल्स; अन्य अनुमोदित दवाएं।

**श्रेणी 2:** एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रीडिएंट्स/प्रमुख प्रारंभिक सामग्री/ड्रग इंटरमीडिएट्स (महत्वपूर्ण केएसएम/डीआई/एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना के तहत पहले से ही शामिल 41 पात्र उत्पादों को छोड़कर)।

**श्रेणी 3 (श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के तहत कवर नहीं की गई दवाएं)**: पुनर्निर्मित दवाएं; ऑटो इम्यून दवाएं, एंटी-कैंसर दवाएं, एंटी-डायबिटिक दवाएं, एंटी-इंफेक्टिव दवाएं, कार्डियोवैस्कुलर दवाएं, साइकोट्रोपिक दवाएं और एंटी-रेट्रोवायरल दवाएं; इन विट्रो नैदानिक उपकरण; अनुमोदित अन्य दवाएं; अन्य दवाएं जो भारत में निर्मित नहीं हैं।

43. योजना का कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक है। यह योजना वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10% की दर, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8% और वित्त वर्ष 2027-28 के लिए 6% की दर से 6 वर्ष की अवधि के लिए वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करती है

44. विभाग ने कहा है कि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदक निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर निम्नलिखित तीन समूहों में आवेदन करेंगे:

- **समूह क :** 5,000 करोड़ रुपये से अधिक या उसके बराबर औषध उपकरण और / या इन विट्रो डायग्नोस्टिक चिकित्सा उपकरण का वैश्विक विनिर्माण राजस्व (वित्त वर्ष 2019-20) रखने वाले आवेदक।

- **समूह ख** : 500 करोड़(सहित) से 5,000 करोड़ रुपये के औषध उपकरण और / या इन विट्रो डायग्नोस्टिक चिकित्सा उपकरण का वैश्विक विनिर्माण राजस्व (वित्त वर्ष 2019-20) रखने वाले आवेदक।

- **समूह ग:** 500 करोड़ रुपये से कम के औषध उपकरण और / या इन विट्रो डायग्नोस्टिक चिकित्सा उपकरण का वैश्विक विनिर्माण राजस्व (वित्त वर्ष 2019-20) रखने वाले आवेदक। इस समूह में एमएसएमई आवेदकों, यानी, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के रूप में पंजीकृत आवेदक के लिए एक उप-समूह शामिल होगा

45. गत 3 वर्षों के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई), वास्तविक व्यय और व्यय में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि और वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित और अनुमोदित बजट अनुमान आबंटन के संबंध में ब्यौरा निम्नवत है:

**(करोड़ रु. में)**

| वित्तीय वर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय | प्रतिशत वृद्धि/कमी |
|---|---|---|---|---|
| **2020-2021** | 00 | 00 | 00 | 00 |
| **2021-2022** | 3.00 | 3.00 | 1.239 | 300% |
| **2022-2023** | 3.00 | 694.20 | 165.74 | 23040% |
| **2023-2024** | 1000.00* | - | - | - |

*** प्रस्तावित बजट अनुमान 3584.50 करोड़ रुपये है**

46. वर्ष 2022-23 के दौरान योजना के तहत कम उपयोग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, जब योजना के लिए आरई चरण में 694.20 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 औषध के लिए पीएलआई योजना के लिए उत्पादन का पहला वर्ष है।औषध के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत, दिसंबर 2022 तिमाही समीक्षा रिपोर्ट (क्यूआरआर) के आधार पर 309 परियोजना स्थानों के लिए 261 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। आगे के संयंत्रों के वित्त वर्ष 2023-24 में चालू होने की संभावना है। आवेदक त्रैमासिक/छमाही/वार्षिक आधार पर प्रोत्साहन के संवितरण के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी अवधि के लिए दावा केवल एक बार किया जाएगा, जब तक कि वापस नहीं लिया जाता है, और उक्त अवधि के लिए बाद के किसी भी दावे की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रोत्साहन का दावा करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को चयनित आवेदकों के साथ साझा किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में, सं.अ. चरण में 694.20 रुपये आबंटित किए गए हैं और अब तक 165.74 रुपये जारी किए जा चुके हैं और शेष प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। पीएमए द्वारा प्राप्त शेष दावों की जांच की जा रही है।

47. इस संबंध में, सचिव, औषध विभाग ने साक्ष्य के दौरान समिति को निम्नवत आश्वासन दिया

*" 694.20 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले 538.00 करोड़ रुपये के दावे पहले ही आ चुके हैं। हम पहले ही 165.74 करोड़ रुपये जारी कर चुके हैं, और हम अगली किस्त जारी करेंगे। अत, यह कार्य प्रगति पर है, और इसी तिमाही में इसे किया जाना है।"*

**(ग) वृहद योजना: औषध उद्योग का विकास- (मुख्य शीर्ष 2852)**

48. औषध उद्योग का विकास (डीपीआई) के लिए वृहद योजना के अंतर्गत विभाग वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 500.00 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ तीन उप-योजनाओं अर्थात् (i) साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ), (ii) औषध प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस) और (iii) औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस) के साथ केंद्रीय क्षेत्र की दो पार्क योजनाएं अर्थात् (i) वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 3000.00 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ बल्क ड्रग पार्कों के संवर्धन की योजना और (ii) वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 400.00 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने की योजना आदि योजनाओं को लागू करता है। इस वृहद योजना का उद्देश्य घरेलू दवा और मेडटेक उद्योग की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना है ताकि वे वैश्विक बाजार में अग्रणी भूमिका निभा सकें और बड़े पैमाने पर उपभोग के लिए गुणवत्ता वाले औषध और चिकित्सा उपकरणों की पहुंच, उपलब्धता और सामर्थ्य सुनिश्चित कर सकें।

**(घ) औषध उद्योग का सुदृढीकरण (एसपीआई)-(मुख्य शीर्ष 2852)**

49. "औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण" (एसपीआई) योजना दिनांक 21.7.2022 को शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य मौजूदा बुनियादी ढांचा सुविधाओं को मजबूत करना और भारत को औषध क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाना है, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए 500.00 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय परिव्यय है और योजना दिशानिर्देश 11.3.2022 को जारी किए गए थे। यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसमें निम्नलिखित उप-योजनाएं शामिल हैं:

**क.** साझा सुविधाएं बनाकर मौजूदा औषध क्लस्टर्स की क्षमता को मजबूत करने के लिए **साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)**

**ख.** राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नियामक मानकों (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी या अनुसूची-एम) को पूरा करने के लिए तय ट्रैक रिकॉर्ड वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम औषध उद्यमों (एमएसएमई) की सुविधा के लिए **औषध प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)**, उनके पूंजीगत ऋणों पर ब्याज

सहायता या पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता में वृद्धि की सुविधा प्रदान करेगी।

**ग.** अध्ययन/सर्वेक्षण रिपोर्टों, जागरूकता कार्यक्रमों, डेटाबेस के सृजन और उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के विकास और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए **औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस)**।

उपर्युक्त तीन उप-स्कीमें औषध विभाग द्वारा औषध उद्योग विकास (डीपीआई) योजना के भाग के रूप में पहले ही अनुमोदित की जा चुकी हैं। अब, विभाग ने प्रभावी हस्तक्षेप के लिए हितधारकों के परामर्श के बाद योजना दिशानिर्देशों में संशोधन के साथ उपर्युक्त योजनाओं को एक एकल योजना अर्थात् औषध उद्योग का सुदृढीकरण (एसपीआई) में जोड़ दिया है। एसपीआई योजना के लिए सिडबी को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

**क. साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)**
**-(मुख्य शीर्ष 2852)**

50. गत 3 वर्षों के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई), वास्तविक व्यय और व्यय में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि और वर्ष 2023-24 के लिए योजना के तहत प्रस्तावित और अनुमोदित बीई आबंटन के विवरण निम्नानुसार हैं :

**(Rs. in crore)**

| Nउप-योजना का नाम | बी.ई. 2020-21 | आर.ई. 2020-21 | वास्तविक 2020-21 | बी.ई. 2021-22 | आर.ई. 2021-22 | वास्तविक 2021-22 | बी.ई. 2022-23 | आर.ई. 2022-23 | वास्तविक 2022-23 31.12.22 की स्थिति के अनुसार | प्रस्तावित बजट अनुमान (2023-24) | अनुमोदित बजट अनुमान (2023-24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **एपीआई-सीएफ** | 12.00 | 7.23 | 7.22 | 18.00 | 15.61 | 9.89 | 36.00 | 32.00 | 7.67 | 61.90 | 51.00 |

51. वर्ष 2022-23 के दौरान यह नोट किया गया है कि साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ) योजना के तहत बजट अनुमान स्तर पर 36.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे, जिसे कम कर के संशोधित अनुमान स्तर पर 32.00 करोड़ रुपये कर दिया गया और वास्तविक उपयोग केवल 7.67 करोड़ रुपये है। इसलीर समिति ने वर्ष 2022-23 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय के आंकड़ों में भिन्नता के कारण के बारे में पूछा। उत्तर में, विभाग

द्वारा यह बताया गया है कि दिनांक 21.07.2022 को "औषध उद्योग को सुदृढ़ बनाना" की योजना शुरू की और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए), सिडबी के माध्यम से 08.2022 से उप-योजना "साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)" के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए। पीएमए को कुल 20 आवेदन प्राप्त हुए। योजना संचालन समिति (एसएससी) की तीन बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और 20 आवेदनों में से 5 आवेदकों को अंतिम मंजूरी दे दी गई है। चूंकि केवल 30% सहायता अनुदान पहली किस्त के रूप में जारी किया जाना था, राशि को 36.00 करोड़ रुपये से घटाकर 32.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

52. एपीआई-सीएफ योजना के लिए बजट अनुमान 2023-24 को अधिक महत्व पर रखने के कारण के बारे में जो 2023-24 के लिए 51.00 करोड़ रुपये है, जो 2022-23 के बजट अनुमान अर्थात 36.00 करोड़ रुपये से बहुत अधिक है और 2023-24 के दौरान इस अधिक आबंटन के साथ प्राप्त किए जाने वाले भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों के बारे में विभाग ने बताया है कि अब तक, 2022 से पहले अनुमोदित 3 परियोजनाओं में से एक पूरी हो गई है और शेष दो के जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। योजना अवधि के दौरान उपलब्ध बजट के लिए, पहले से ही चयनित 5 परियोजनाएं और सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र जारी किया जा रहा है और पहली किस्त जल्द ही जारी होने की संभावना है। बजट अनुमान 2023-24 में निधियों का प्रस्ताव 7 परियोजनाओं के लिए दी गई मंजूरी और नई परियोजनाओं को पहली/दूसरी किस्त जारी करने की दिशा में 23-24 में मंजूरी मिलने की उम्मीद के आधार पर किया गया था।

53. विगत तीन वर्षों 2020-21 से 2022-23 के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण निम्नवत है:

| **वित्तीय वर्ष** | **भौतिक लक्ष्य** | **उपलब्धि** | **भौतिक लक्ष्य** | **उपलब्धि** |
|---|---|---|---|---|
| **2020-21** | 2 साझा सुविधा केंद्र अनुमोदित किये जाएंगे | 2 परियोजनाएं अर्थात केआईडीसी,हि.प्र. और आईपीआरएफ, पुणे को मंजूरी दे दी गई है | पहली किस्त जारी की जानी है | दोनों अनुमोदित परियोजनाओं के लिए पहली किस्त जारी की गई थी |
| **2021-22** | 3 साझा सुविधा केंद्र अनुमोदित किये जाएंगे | कोई नया प्रोजेक्ट नही चुना गया था | नव चयनित सीएफसी को पहली किस्त जारी की जानी है. | राशि का भुगतान नहीं किया गया |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | सीपीआईयूसी की 1 पुरानी परियोजना चालू की जाएगी | सीपीआईयूसी की परियोजना चालू | 2020-2021 में स्वीकृत सीएफसी को दूसरी किस्त | पुरानी परियोजनाओं की दूसरी किस्त जारी की गई। |
| **2022-23** | 2 परियोजनाओं को पूरा करना | मार्च, 2023 के अंत तक 2 परियोजनाओं के चालू होने की संभावना है | 2 परियोजनाओं को तीसरी और अंतिम किस्त जारी करना | तीसरी किश्त जारी की गई। शुरू होने के बाद अंतिम किस्त जारी की जाएगी। |
| | 5 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी जानी है | नई परियोजनाओं के लिए डीपीआर प्राप्त हो गया है, जिसकी जांच की जा रही है | 5 नई परियोजनाओं के लिए पहली किस्त जारी करना | चयन के बाद भुगतान जारी कर दिया जाएगा |

54. विभाग ने इन परियोजनाओं के तहत हुई प्रगति का ब्योरा दिया है जिन्हें स्कीम एपीआई-सीएफ के अंतर्गत 2022-23 में शुरू किया गया अथवा किया जाने वाला है, इसका ब्योरा निम्न है:

| **क्र. सं.** | **नाम** | **परियोजना** | **स्थान** | **अनुमोदित परियोजना लागत** | **अनुमोदित सहायता अनुदान** | **स्थिति** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | चेन्नई फार्मा औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन कंपनी (सीपीआईआईयूसी) | साझा बहिस्रांव शोधन संयंत्र (सीईटीपी) | अलांथुर, तमिलनाडु | 11.02 करोड़ रूपए | 11.02 करोड़ रूपए | पूर्ण |
| 2. | इंदुकेयर औषध एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान (आईपीआरएफ) | साझा जांच सुविधा, प्रायोगिक संयंत्र के साथ आरएंडआई और साझा संभार तंत्र केंद्र | पुणे, महाराष्ट्र | 31.44 करोड़ रूपए | 20.00 करोड़ रूपए | अंतिम अनुमोदन: 31.03.2021 3 किस्तें जारी की गईं। |
| 3. | काला अंब अवसंरचना विकास कंपनी (केआईडीसी) | साझा बहिस्रांव शोधन संयंत्र (सीईटीपी) | सिरमौर, हिमाचल प्रदेश | 7.20 करोड़ रूपए | 5.04 करोड़ रूपए | अंतिम अनुमोदन: 31.03.2021 3 किस्तें जारी की गईं। |

**ख. औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता स्कीम (पीटीयूएएस)- (मुख्य शीर्ष 2852)**

55. विगत तीन वर्षों के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय और व्यय में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि तथा वर्ष 2023-24 के लिए इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित और अनुमोदित बजट अनुमान आबंटनों का ब्योरा निम्न प्रकार है:

**(करोड़ रूपए में)**

| उप-योजना का नाम | बी.ई. (वित्त वर्ष 2020-21) | आर.ई. (वित्त वर्ष 2020-21) | वास्तविक (वित्त वर्ष 2020-21) | बी.ई. (वित्त वर्ष 2021-22) | आर.ई. (वित्त वर्ष 2021-22) | वास्तविक (वित्त वर्ष 2021-22) | बी.ई. (वित्त वर्ष 2022-23) | आर.ई. (वित्त वर्ष 2022-23) | वास्तविक (वित्त वर्ष 2022-23) 31.12.22 की स्थिति के अनुसार | प्रस्तावित बजट अनुमान (2023-24) | अनुमोदित बजट अनुमान (2023-24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **पीटीयूएएस** | 0.02 | 0.02 | 00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 62.00 | 1.00 | 0.00 | 104.30 | 95.00 |

56. 'औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)' के अंतर्गत, बजट अनुमान स्तर पर 62.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे, जिसे संशोधित करके सं.अ. स्तर पर 1.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था और वर्ष 2022-23 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया है। इस संबंध में समिति ने वर्ष 2022-23 के दौरान ब.अ. और सं.अ. आबंटन में भिन्नता के कारणों के बारे में पूछा हैं। उत्तर में विभाग ने बताया है कि हालांकि योजना के लाभों पर व्यापक आउटरीच का आयोजन किया गया था, किंतु वित्त वर्ष 22-23 में उदासीन प्रतिक्रिया थी और तदनुसार, सं.अ. 2022-23 में 1 करोड़ रुपये की संशोधित धनराशि मांगी गई थी। तथापि, अब 2023 में चार आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी सिडबी (पीएमए) में जांच की जा रही है।

57. जब यह पूछा गया कि विभाग की वर्ष 2023-24 के दौरान आबंटित 95.00 करोड़ रुपये कैसे खर्च करने की योजना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है और जब वर्ष 2022-23 के दौरान इस योजना पर कुछ भी खर्च नहीं किया गया था, यह उत्तर दिया गया कि आशा है कि इस वित्तीय वर्ष 23-24 में अधिकांश आवेदकों का चयन किया जाएगा। अतः 95 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तावित है। यदि अधिकांश आवेदक पूंजीगत राजसहायता माध्यम का विकल्प चुनते हैं, तो राशि का भुगतान परियोजनाओं के पूरा होने के अंत में ही किया जाएगा। उस स्थिति में, यह अनुमानित राशि अन्य योजनाओं के लिए उचित रूप से पुनर्विनियोजित की जाएगी। जैसा कि योजना रोल ओवर आधार पर है, विभाग को वर्ष 2023-24 में सकारात्मक और अधिकतम प्रतिक्रिया की उम्मीद है।

58. आगामी वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्य सहित गत तीन वर्षों के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है:

| वित्तीय वर्ष | भौतिक लक्ष्य | उपलब्धि | वित्तीय लक्ष्य | उपलब्धि | विविधताओं का कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 500 एसएमई इकाइयों का उन्नयन करना है | ** | चयनित एसएमई इकाइयों को भुगतान जारी करना | ** | ** |
| 2021-22 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022-23 | 150 एमएसएमई इकाइयों का उन्नयन करना है | आवेदन आमंत्रित किया गया है | चयनित आवेदकों को भुगतान जारी करना | ** | ** |

59. पीटीयूएएस योजना के तहत वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान निर्धारित क्रमशः 500 और 150 लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) इकाइयों के उन्नयन के वास्तविक लक्ष्यों के संबंध में वर्तमान स्थिति के बारे में विभाग ने दोहराया कि योजना के संबंध में उदासीन प्रतिक्रिया मिली थी।

**ग. <u>औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस)- (मुख्य शीर्ष 2852)</u>**

60. विगत तीन वर्षों के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय और व्यय में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि तथा वर्ष 2023-24 के लिए इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित और अनुमोदित बजट अनुमान आबंटनों का ब्योरा निम्न प्रकार है:

**(करोड़ रूपए में)**

| उप-योजना का नाम | बी.ई. 2020-21 | आर.ई. 2020-21 | वास्तविक 2020-21 | बी.ई. 2021-22 | आर.ई. 2021-22 | वास्तविक 2021-22 | बी.ई. 2022-23 | आर.ई. 2022-23 | वास्तविक 2022-23 31.12.22 की स्थिति के अनुसार | प्रस्तावित बजट अनुमान (2023-24) | अनुमोदित बजट अनुमान (2023-24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पीएमपीडीएस | 1.00 | 0.50 | 0.49 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 3.00 | 0.24 | 5.00 | 4.00 |

61. जब यह पूछा गया कि औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस) के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान आबंटित 3.00 करोड़ रुपये की धनराशि के कम उपयोग के क्या कारण हैं और केवल 0.24 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा सका है, यह बताया गया कि जनवरी 2023 में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर के मेडटेक एक्सपो (1 करोड़ रुपये) और मार्च 2023 में

वार्षिक इंडिया फार्मा और मेडटेक इवेंट (1 करोड़ रुपये) और दोनों के लिए उपयोग को ध्यान में रखते हुए पीएमपीडीएस के अंतर्गत सं.अ. 2022-23 में 3.00 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। ये कार्यक्रम मूल योजना के अनुसार आयोजित नहीं किये जा सके। हालांकि, विभाग ने जनवरी 2023 में 5 नए अध्ययनों को मंजूरी दी है और अध्ययन की लागत का 30% अग्रिम भुगतान के रूप में फरवरी-मार्च, 2023 के दौरान जारी किया जाएगा।

62. विगत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है:

| **स्कीम/ परियोजना का नाम** | **2020-21** | | **2021-22** | | **2022-23** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **भौतिक लक्ष्य** | **उपलब्धि** | **भौतिक लक्ष्य** | **उपलब्धि** | **भौतिक लक्ष्य** | **उपलब्धि** |
| पीएमपीडी एस | 15 सेमिनार आयोजित किए जाने हैं। | 10 कार्यक्रम आयोजित किए गए | 24 कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। | 1 कार्यक्रम आयोजित किया गया | 25 सेमिनार आयोजित किए जाने हैं। | 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए |
| | 1 अध्ययन किया जाना है। | * | 5 अध्यय किए जाने हैं। | 5 अध्ययनों की मंजूरी दी गयी | 10 अध्ययन किए जाने हैं। | आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है। |

यह स्पष्ट है कि 2022-23 के दौरान, 25 सेमिनारों के लक्ष्य में से केवल 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और किए जाने वाले 10 अध्ययनों के संबंध में प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है। ब्योरा दिए जाने के लिए कहे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में इस अल्प निष्पादन के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं दिया है।

**(ड.) चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन स्कीम -(मुख्य शीर्ष 2852)**

63. "साझा सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता" योजना को संशोधित किया गया है और इसे "चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना" नाम दिया गया है और 20 मार्च, 2020 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 400.00 करोड़ रुपये है, जिसमें साझा सुविधाओं की स्थापना के लिए चार चिकित्सा उपकरण पार्कों के लिए प्रत्येक के लिए 100.00 करोड़ रुपये हैं। योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक है। इस योजना के अंतर्गत कुल 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। विभाग ने इस योजना के अंतर्गत

हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को अंतिम अनुमोदन प्रदान कर दिया है। पार्कों के पूरा होने की संभावित तारीख जून, 2024 है। वित्त वर्ष 2021-22 में 4 राज्यों को 30.00 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है।

64. इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण पार्कों में विश्व स्तरीय सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के निर्माण के माध्यम से मानक जांच और प्रयोगशाला सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना है। इससे उत्पादन की लागत को कम करने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और वहनीयता में सुधार करने में मदद मिलेगी, जिससे चिकित्सा उपकरणों के घरेलू निर्माण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा। योजना के दिशा-निर्देश 27 जुलाई 2020 को जारी किए गए थे। यह योजना प्रति पार्क 100.00 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा या सामान्य अवसंरचना सुविधाओं की परियोजना लागत का 70%, जो भी कम हो, के साथ चिकित्सा उपकरण पार्कों को सहायता अनुदान प्रदान करती है।

65. विगत तीन वर्षों के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय और व्यय में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि तथा वर्ष 2023-24 के लिए इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित और अनुमोदित बजट अनुमान आबंटनों का ब्योरा निम्न प्रकार है:

**(करोड़ रूपए)**

| स्कीम | वित्तीय वर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|---|---|
| **साझा सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता** | **2020-21** | 7.50 | 21.05 | 7.49 |
| | **2021-22** | 60.00 | 137.02 | 137.02 |
| **चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन** | **2022-23** | 120.00 | 32.93 | 0.8968 |
| | **2023-24** | 200.00 | - | - |

# **प्रस्तावित बजट अनुमान 207.563 करोड़ रूपए है।**

66. वर्ष 2022-23 के दौरान, स्कीम के लिए बजट अनुमान स्तर पर 120.00 करोड़ रूपए का आरंभिक आबंटन किया गया था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटा कर 32.93 करोड़ रूपए कर दिया गया था और वास्तविक उपयोग केवल 89.00 लाख रूपए था। जब निधियों के अल्प उपयोग के कारणों के बारे में पूछा गया तो विभाग ने अपने उत्तर में बताया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में 4 राज्यों को दूसरी किस्त जारी करने के लिए 120 करोड़ रुपये (ब.अ. 22-23) का प्रावधान रखा गया था। अनुदान पार्क की साझा अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के विकास के लिए प्रदान किया गया था और सीआईएफ विकास भौतिक अवसंरचना के बाद किया जाएगा और भूमि विकास कार्य राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां अपनी निधियों से करती हैं। पीएमए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्यों में भौतिक

अवसंरचना के कार्यों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दूसरी किस्त प्राप्त करने हेतु पात्र बनने के लिए एसआईए को पहली किस्त की 60% राशि और राज्य निधियों से समतुल्य राशि व्यय करनी होगी। आवधिक समीक्षा और नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, राज्य प्रस्तावित चिकित्सा उपकरण पार्कों में वैज्ञानिक सामान्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए तकनीकी विशिष्टताओं पर पहुंचने के लिए भारी तकनीकी परामर्श की आवश्यकता और भौतिक बुनियादी ढांचे के कार्यों के निष्पादन की धीमी गति के कारण राज्य आवश्यक व्यय को पूरा नहीं कर सके और उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, केवल तमिलनाडु राज्य ने सूचित किया है कि वे 15 फरवरी, 2023 तक उपयोग प्रमाणपत्र जमा करने में सक्षम होंगे। इसलिए, सं.अ. में 32.93 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। हाल ही में, तमिलनाडु राज्य ने सूचित किया कि वह वित्त वर्ष 23-24 की पहली तिमाही तक आवश्यक उपयोग प्रमाणपत्र जमा करने में सक्षम होगा। अतः इसमें व्यय कम है तथा राशि को विभाग की अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोग हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।

67. साक्ष्य के दौरान सचिव, औषध विभाग ने बजट के उपयोग में कम कार्य-निष्पादन पर निम्नवत बताया:

> *"मुझे उम्मीद है कि समिति इस बात की सराहना करेगी कि ये राज्य पहली बार चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित कर रहे हैं । दूसरी बात यह कि बेंचमार्क अथवा बाधाएं ज्यादा हैं । हम सड़क, जल निकासी; जल आपूर्ति आदि जैसी नगरीय अवसंरचना के लिए सहायता प्रदान नहीं कर रहे हैं । इन्हें राज्यों द्वारा वहन और कार्यान्वित करना होता है । हम राज्यों को वैज्ञानिक केन्द्रीय अवसंरचना स्थापित करने के लिए कह रहे हैं जिसमें गामा इरेडेशन, चिकित्सा उपकरणों के लिए विशेष पैकेजिंग, चिकित्सा उपकरणों के लिए जांच प्रयोगशालाएं शामिल हैं । चिकित्सा उपकरण कंपनियां इन्हें साझा अवसंरचना के रूप में उपयोग कर सकती हैं । इसमें कुछ विशेष डिजाइनिंग किए जाने की जरूरत है । देश में सीमित संसाधन हैं । तथापि, चार राज्यों ने संसाधनों का पता लगाया है । उन्होंने डिजाइन तैयार करवाया है और निविदा जारी की है । इसमें हमारे अनुमान की तुलना में ज्यादा समय लगेगा । संभवतः, ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी पहल पहली बार की गई है।"*

68. बजट अनुमान 2022-23 के 120.00 करोड़ रुपये की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 में 200.00 करोड़ रुपये के अधिक आबंटन के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, यह कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में चयनित 4 राज्यों को 30.00 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी नहीं की गई थी, इसलिए वित्त वर्ष 2023-24 में 120.00 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के लिए दूसरी और तीसरी किस्त जारी करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 के लिए चुनिंदा 4 राज्यों को 24000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। 240.00 करोड़ रुपये की आवश्यकता में से, बजट अनुमान 2023-24 में 200.00 करोड़ रुपये का प्रावधान 4 राज्यों को बाद की दोनों किस्तों को जारी करने और परियोजना प्रबंधन एजेंसी के वार्षिक शुल्क के भुगतान के लिए रखा गया था।

## च. बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना (पूर्वनाम साझा सुविधा केंद्र के लिए बल्क ड्रग उद्योग को सहायता)- (मुख्य शीर्ष 2852)

69. इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3000.00 करोड़ रुपये है और कार्यकाल 2020-21 से 2024-25 तक है। केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता प्रति पार्क 1000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा अथवा सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) की परियोजना लागत का 70% तथा पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के मामले में 90%, जो भी कम हो, के अधीन है। "साझा सुविधा केंद्र के लिए थोक दवा उद्योग को सहायता" योजना को वर्ष 2020 में एक बड़े कोष के साथ संशोधित किया गया था और इसका नाम "बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन" रखा गया था, जिसे फरवरी, 2020 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था।

70. विभाग को 13 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने हैं और प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश को इस योजना के तहत इन 3 राज्यों में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्कों में सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के सृजन के लिए अक्टूबर-नवंबर 2022 में ही अंतिम अनुमोदन के बारे में सूचित किया गया था। विभाग ने बताया है कि गुजरात की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) को 299.25 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है। चालू वित्त वर्ष अर्थात 2022-23 में आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में से प्रत्येक को 299.25 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

71. बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई), पिछले 3 वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय और वर्ष 2023-24 के लिए योजना के तहत प्रस्तावित और अनुमोदित बजट अनुमान आबंटन के विवरण निम्नवत हैं:

**(करोड़ रुपये में)**

| योजना | वित्तीय वर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|---|---|
| साझा सुविधा केंद्र के लिए बल्क ड्रग उद्योग को सहायता | 2020-21 | 21.52 | 1.68 | 1.68 |
| | 2021-22 | 36.24 | 2.25 | 2.25 |
| बालक ड्रग पार्कों का संवर्धन | 2022-23 | 900.00 | 900.00 | 301.50 |
| | 2023-24 | 900.00# | - | - |

**# प्रस्तावित बजट अनुमान 900.00 करोड़ रुपये है।**

72. वर्ष 2022-23 के दौरान निधियों का उपयोग करने में विभाग की असमर्थता पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि योजना के लिए 900.00 करोड़ रुपये के आबंटन में से केवल 301.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। समिति ने निधियों के कम उपयोग के कारणों के बारे में पूछा। विभाग ने कहा है कि वर्ष

2022-23 के लिए निर्धारित 900 करोड़ रुपये में से, तीन राज्यों को दिशानिर्देशों के अनुसार यूसी जमा करने के बाद दूसरी किस्त के रूप में 299.25 करोड़ रुपये दिए जाने हैं और 2.25 रुपये पीएमए को दिए जाने हैं। इस योजना के अंतर्गत 3 राज्यों का चयन केवल अक्तूबर/नवंबर, 2022 में किया गया है। पहली किस्त एक राज्य को जारी कर दी गई है और शेष दो राज्यों के लिए यह अगले वित्तीय वर्ष में जारी की जाएगी।

73. जब विभाग ने वर्ष 2023-24 के दौरान आबंटित 900.00 करोड़ रुपये की आबंटित राशि का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए किए जा रहे अग्रिम उपायों के बारे में पूछा, तो विभाग ने कहा है कि योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री के तहत एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सचिव स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। पीएमए योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साथ भी बातचीत कर रहा है। ये सभी सुनिश्चित करेंगे कि योजना को समय सीमा के अनुसार लागू किया जाए और वित्त वर्ष 23-24 में 900 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय हो।

74. 3 बल्क ड्रग पार्कों के लिए योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के सृजन के संबंध में वर्तमान स्थिति के संबंध में विभाग ने कहा है कि 3 चयनित राज्यों ने योजना के अंतर्गत अनुमोदित सामान्य अवसंरचना परियोजनाओं सहित वास्तविक अवसंरचना कार्यों के लिए निविदाएं जारी की हैं अथवा निविदाएं जारी करने के चरण में हैं। तीन संबंधित राज्यों की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) ने इन परियोजनाओं को अगले 24-28 महीनों के भीतर पूरा करने का संकेत दिया है। विभाग इस योजना के लिए किराए पर ली गई परियोजना प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से प्रगति की नियमित निगरानी कर रहा है।

### (छ) प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) - (मुख्य शीर्ष 2852 और 2552)

75. वर्ष 2020-2021 से 2024-2025 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) योजना के लिए कुल 490.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है। बजट अनुमान 2023-24 के रूप में 115.00 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है और इसे आबंटित किया गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई), वास्तविक व्यय और

व्यय में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि और वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित और अनुमोदित बजट अनुमान आबंटन के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

**(करोड़ रुपये में)**

| वित्तीय वर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय | प्रतिशत वृद्धि/कमी |
|---|---|---|---|---|
| **2020-21** | 50.00 | 65.00 | 65.00 | 83.05% |
| **2021-22** | 65.00 | 68.50 | 68.50 | 5.38% |
| **2022-23** | 72.50 | 100.00 | 72.50 (As on 04.01.2023) | 45.99% |
| **2023-24** | 115.00# | - | - | - |

**# प्रस्तावित ब.अ. 115.00 करोड़ रु है।**

76. विभाग ने कहा है कि वर्ष 2022-23 के दौरान 100.00 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान आबंटन पूरी तरह से पीएमबीजेपी पर खर्च किया जाएगा। फिर समिति ने पाया कि वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान 115.00 करोड़ रुपये है, जो 2022-23 के दौरान 72.50 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में अधिक है, इसलिए, समिति वर्ष 2023-24 के दौरान उपयोग रणनीति के बारे में जानना चाहती थी। उत्तर में, यह बताया जाता है कि स्थायी समिति की सिफारिशों के आलोक में, पीएमबीजेपी योजना के लिए 115.00 रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। इसे बीई-2023-24 में आबंटित किया गया है जिसका उपयोग वर्ष के लक्ष्य अर्थात 1,000 नए केंद्र खोलने और 2000 दवाओं और 300 सर्जिकल उत्पाद टोकरी को बढ़ाने के लिए को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा ।

77. पीएमबीजेपी योजना के तहत उपलब्धियों की तुलना में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

| वित्तीय वर्ष | लक्ष्य (केंद्रों की सं.) | उपलब्धि (केंद्रों की सं.) | लक्ष्य (प्रोडक्ट बास्केट) (दवा, सर्जिकल) | उपलब्धि (प्रोडक्ट बास्केट) (दवा, सर्जिकल | लक्ष्य (भांडागार की सं | उपलब्धि (भांडागार की सं.)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2020-21** | 7300 | 7557 | 1400<br>220 | 1449<br>204 | 4 | 3 |
| **2021-22** | 8300 | 8610 | 1600<br>240 | 1616<br>250 | 5 | 4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2022-23** | 9300 | 8998 (04.01.2022 तक) | 1800 280 | 1759 280 (04.01.2022 तक ) | 6 | 4 (04.01.2022 तक ) |

78. वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान चालू भांडागारों के संबंध में योजना के तहत निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों की अल्प प्राप्ति के संबंध में उत्तर देते हुए विभाग ने कहा है कि वर्तमान में 04 और 05 भांडागारों के लक्ष्यों की तुलना में 03 और 04 भांडागार स्थापित किए गए थे और वर्ष 2022-23 (31.03.2023 तक) के दौरान भांडागारों के संबंध में अपेक्षित उपलब्धि के आंकड़े, दवाओं के भंडारण और वितरण के लिए गुरुग्राम, गुवाहाटी, चेन्नई और सूरत में चार आधुनिक भांडागार स्थापित किए गए हैं, जो लगभग 2,15,000 वर्ग फुट के भंडारण क्षेत्र के साथ चालू हैं।पीएमबीआई सभी केंद्रों पर दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भांडागारों से दुकानों को सीधी आपूर्ति कर रहा है। भांडागारों की स्थापना के लिए कम उपलब्धि आंशिक रूप से कोविड महामारी के कारण थी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भांडागारों की स्थापना के संबंध में अपेक्षित उपलब्धि दिनांक 31.03.2023 तक 05 भांडागार हैं।

79. इस संदर्भ में विभाग ने यह भी कहा है कि वर्ष 2025 तक देश में 6 भांडागार स्थापित करने का लक्ष्य है। तदनुसार, आवश्यकता के आधार पर कुछ वर्षों में देश में दो और भांडागार खोले जाने की योजना है। पीएमबीआई, योजना की कार्यान्वयन एजेंसी अपनी आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करने और एंड टू एंड आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

80. स्थानीय जरूरतों का आकलन करने के लिए जनऔषधि केंद्र के मालिक द्वारा अनुमानित मांग के अलावा उस स्थानीय क्षेत्र में दवाओं की सामान्य मांग को जाँचने के लिए पीएमबीआई द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किए जाने वाले नियमित स्थानीय सर्वेक्षण के विवरण के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने यह बताया है कि प्रत्येक जन औषधि केंद्र वितरकों और भांडागारों के साथ पीओएस से जुड़ा हुआ है। वे उपलब्धता के अधीन किसी भी स्थान पर ऑर्डर दे सकते हैं और यह भी कि दवा पीएमबीजेपी के प्रोडक्ट बास्केट का हिस्सा है। पीएमबीआई ने 125 दवाओं की पहचान तेजी से आगे बढ़ने के रूप में की है और बिक्री पैटर्न और डिमांड फोर कास्टिंग के आधार पर इसे बढ़ाकर 175 करने का प्रस्ताव किया है। हालांकि पिछले 3 वर्षों में केंद्रों का ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन पीएमबीआई द्वारा केंद्रों के साथ नियमित राज्य-वार बैठकें की जाती हैं और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए राज्य वितरकों और विपणन अधिकारियों से फीडबैक ली जाती है।

81. साक्ष्य के दौरान आगे, औषध एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) के प्रतिनिधि ने कहा कि:

*"महोदय, हम ये आदान न केवल केन्द्र के स्वामियों अथवा दुकानदारों से लेते हैं अपितु अपनी मेल के साथ-साथ हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से वितरकों और जनसाधारण से भी फीडबैक लेते हैं । एक समिति है जिसमं कुछ विशेषज्ञ हैं जो हमें दवाईयां शामिल करने के लिए मार्गनिर्देश देते हैं । जैसा कि मेंने अभी उल्लेख किया कि समिति के सदस्य, जो चिकित्सक, फार्माकोलाजिस्ट और अन्य विशेषज्ञ हैं, पिछले सप्ताह उनके साथ चर्चा करने के बाद 105 दवाईयां शामिल की हैं।"*

## V. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) - (गैर योजना मुख्य शीर्ष-2852)

82. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), औषध विभाग में विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन सरकार द्वारा दिनांक 29.08.97 के भारत के राजपत्र संख्या 159 में प्रकाशित संकल्प के माध्यम से किया गया था। एनपीपीए के कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के अंतर्गत अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण और संशोधन करना तथा मूल्यों की निगरानी और प्रवर्तन शामिल है। एनपीपीए औषध नीति और दवाइयों की वहनीयता, उपलब्धता और पहुंच से संबंधित मुद्दों पर सरकार को जानकारी भी प्रदान करता है। सरकार ने डीपीसीओ, 1995 के अधिक्रमण के संबंध में 15 मई, 2013 को डीपीसीओ, 2013 को अधिसूचित किया।

83. साक्ष्य के दौरान एनपीपीए की प्रकृति और कार्य के बारे में परिचय देते हुए, सचिव, औषध विभाग ने निम्नवत कहा:

*"महोदय, हमारे यहां एनपीपीए भी है । यह स्वायत्तशासी निकाय है जो कि हमारे विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है । यह औषध मूल्यनिर्धारण प्राधिकरण है । कुल विपणन का लगभग 20 प्रतिशत अधिकतम सीमा मूल्य निर्धारण के अंतर्गत आता है । ये सभी आवश्यक दवाईयां हैं और इन्हें `अनुसूचित औषधियां` कहते हैं । शेष 80 प्रतिशत दवाईयां अधिकतम सीमा मूल्य निर्धारण के बाहर हैं । परंतु गैर अनुसूचित दवाईयों के मामले में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की सीमा है ।"*

84. पिछले तीन वर्षों के दौरान एनपीपीए द्वारा वर्ष-वार ब.अ., सं.अ.और किए गए व्यय का विवरण निम्नवत है:

**(करोड़ रुपये में)**

| एमएच 2852 | 2020-21 | | | | 2021-22 | | | | 2022-23 | | | | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वस्तु शीर्ष का नाम | ब.अ. | सं.अ. | आबंटित | वास्तव मे किया गय खर्च | ब.अ | सं.अ. | आबंटित | वास्तव मे किया गय खर्च | ब.अ | सं.अ. | आबंटित | वास्तव मे किया गया खर्च (4.1.23 ) | आबंटित ब.अ. |
| राष्ट्रीयऔषधमूल्यनिर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) | 11.9 | 12.9 | 11.9 | 12.74 | 14.8 | 14.01 | 14.8 | 13.92 | 17.79 | 17.83 | 17.79 | 12.02 | 18.90 |

85. वर्ष 2021-22 में आबंटित निधिओं के कम उपयोग के कारणों और 31.03.2023 तक एनपीपीए द्वारा 2022-23 के दौरान किए गए अपेक्षित वास्तविक व्यय के बारे में पूछे जाने पर, यह कहा गया है कि 2021-22 के दौरान आबंटित बजट 14.80 करोड़ रुपये था और वास्तविक व्यय 13.92 करोड़ रुपये था। 2021-22 में 0.88 करोड़ रुपये की कमी कुछ संविदात्मक पदों को नहीं भरने, कुछ बिलों की देर से प्राप्ति, कोई आधिकारिक विदेशी यात्रा नहीं होने और साथ ही कोविड महामारी के कारण घरेलू दौरों की कम संख्या के कारण है। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एनपीपीए (स्थापना)" के तहत आबंटित 17.79 करोड़ रुपये की निधि का 31.3.2023 तक पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा। इसलिए, कोई कमी नहीं है।

86. समिति ने एनपीपीए के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित नए कदमों/कार्यक्रमों, यदि कोई हों, के बारे में भी जानना चाहा। उत्तर में, यह कहा गया है कि एनपीपीए ने विभिन्न कदमों का प्रस्ताव किया है जैसे (i) राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची (एनएलईएम), 2022 (2022-23 के दौरान निर्धारित नहीं) के तहत शेष अनुसूचित फार्मूलेशन/चिकित्सा उपकरणों का अधिकतम मूल्य निर्धारण और कंपनियों द्वारा कार्यान्वित उच्चतम मूल्य की निगरानी करना। (ii) नई औषधियों के खुदरा मूल्यों का निर्धारण। (iii) गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों/चिकित्सा उपकरणों वार्षिक 10%) और अनुसूचित फार्मूलेशनों (डब्ल्यूपीआई आधार) के मूल्य संशोधन की निगरानी करना (iv) आवश्यक दवाओं की कमी से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना। वेबिनार आदि के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाना आईपीडीएमएस 2.0- कार्यालय स्वचालन का पूर्ण संचालन (v) मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने और पुराने मामलों को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए योजनाओं की खोज करना। (vi) चुनिंदा औषधियों में उच्च व्यापार माजन को युक्तिसंगत बनाने के लिए नई मूल्य निर्धारण पद्धति की खोज करना और (vii) विभिन्न हितधारकों के परामर्श से अंतिम छोर तक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में दवाओं की उपलब्धता पर नज़र रखने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की संभावना तलाशना है।

87. एनपीपीए द्वारा देश के औषध मूल्य विनियामक के रूप में उठाए गए कदमों और देश में औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 (डीपीसीओ) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में यह कहा गया है कि पीएमआरयू अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में कीमतों की निगरानी के लिए स्थापित किए गए हैं। मूल्य अनुपालन की जांच करने के लिए बाजार आधारित आंकड़ों और नमूनों की खरीद का विश्लेषण किया जाता है, जहां भी उल्लंघन पाया जाता है, वहां ओवर-चार्जिंग (ओसी) कार्यवाही शुरू की जाती है

और डीपीसीओ के प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए बाजार आधारित आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है।

88. समिति ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में औषधि मूल्य (नियंत्रण) आदेश डीपीसीओ के कार्यान्वयन में एनपीपीए के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में पूछा। उत्तर में, यह बताया गया है कि कर्मचारियों की भर्ती या उनकी संविदा का समय पर नवीनीकरण न होने के कारण कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमआरयू पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं हो रहे हैं; और अभी तक दूसरे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इनका स्थापित होना शेष है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई और बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

89. समिति आगे ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण (टीएमआर) पर आधारित मूल्य निर्धारण नीति जिसे पूर्व में टीएमआर का लाभ प्रदान करने के लिए गैर-अनुसूचित दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की अवधारणा के प्रमाण के रूप में कैंसर-रोधी दवाओं पर लागू किया गया था, की स्थिति के बारे में जानना चाहती थी। उत्तर में यह बताया गया है कि एनपीपीए ने फरवरी 2019 में अवधारणा के प्रमाण के लिए प्रायोगिक रूप में "व्यापार मार्जिन युक्तिकरण" दृष्टिकोण के अंतर्गत 42 चयनित कैंसर-रोधी दवाओं के गैर-अनुसूचित फार्मूलेशन के व्यापार मार्जिन को सीमित कर दिया है। इसके अतिरिक्त जून/जुलाई 2021 में "व्यापार मार्जिन युक्तिकरण" दृष्टिकोण के अंतर्गत ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेब्युलाइज़र, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर की कीमत को विनियमित करने के लिए टीएमआर दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था। इसी तर्ज पर गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों को विनियमित करने के लिए प्रस्ताव विचारार्थ औषध विभाग को भेजा गया है।

## भाग दो

## टिप्पणियां तथा सिफारिशें

**<u>वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित एवं अनुमोदित बजटीय आबंटन</u>**

**1. समिति नोट करती है कि औषध विभाग (डीओपी) ने वर्ष 2023-24 के दौरान अपनी विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के लिए 5728.57 करोड़ रुपये के बजट आवंटन का प्रस्ताव किया है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इसे कम करके केवल 3160.06 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसी प्रकार, 2022-23 के दौरान, 10383.25 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन को घटाकर 2244.15 करोड़ रुपये कर दिया गया। हालांकि, औषध विभाग 2022-23 की तुलना में 2023-24 में सकल बजट आवंटन में 40.84% की समग्र वृद्धि से काफी हद तक संतुष्ट है, सिवाय अपनी दो योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल्स (पीएलआई-फार्मास्यूटिकल्स), जिनमें प्रस्तावित आवंटन में भारी कमी की गई है। नाईपर योजना (मुख्य शीर्ष 2852 और 2552) के तहत, 1286.00 करोड़ रुपये के अनुमानित आवंटन की तुलना में, नाईपर (क्रमशः मुख्य शीर्ष 2852 और मुख्य शीर्ष 2552,) के लिए 500.00 करोड़ रुपये और 50.00 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए हैं। पुनः, पीएलआई-औषध योजना के मामले में, 2203.00 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट परिव्यय की तुलना में, जो योजना के तहत आवेदकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आवश्यक था, केवल 1000.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।**

**2023-24 के दौरान बढ़े हुए बजटीय आवंटन को ध्यान में रखते हुए, समिति विभाग को अपनी पांच केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की रणनीतिक योजना, मूल्यांकन, निगरानी और कार्यान्वयन करने के लिए जोर देती है, अर्थात् (क) राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), (ख) उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, (ग) औषध उद्योग का विकास, वृहत्त स्कीम (घ) प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) और (ङ) उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीएम) जिससे आबंटित निधियों का इष्टतम**

उपयोग सुनिश्चित किया जाए और संशोधित अनुमान स्तर पर निधियों की प्रस्तावित आवश्यकता के अनुमोदन के लिए पर्याप्त आधार बने।

**2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान बजटीय आबंटन और उपयोग**

2. समिति पिछले तीन वर्षों के दौरान औषध विभाग द्वारा आबंटित निधियों के आवृत्ति अल्प उपयोग को नोट करके क्षुब्ध है। वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान, संशोधित अनुमान चरण में क्रमशः 470.41 करोड़ रुपये, 823.11 करोड़ रुपये और 2268.54 करोड़ रुपये की आवंटित निधियों में से विभाग क्रमशः 456.16 करोड़ रुपये(96.97%), 774.94 करोड़ रुपये (94.14%) और 843.78 करोड़ रुपये (20.19 प्रतिशत) का उपयोग कर सका। स्पष्टतः, विगत में और विशेष रूप से चालू वर्ष 2022-23 के दौरान, जहां 20.02.2023 की स्थिति अनुसार आवंटित निधियों का केवल 37.19 प्रतिशत उपयोग किया गया है, जिससे विभाग की केंद्रीय क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिनका आम जनता के हित में अत्यधिक महत्व हैं और इससे विभाग के खराब कार्यकरण का भी पता चलता है। समिति 2022-23 के दौरान विभाग की तीन पीएलआई योजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति को नोट करके अप्रसन्न है क्योंकि विभाग 1663.20 रुपये (20.02.2023 तक) के आवंटन में से 470.93 करोड़ रुपये (28.31%) का उपयोग करने में सक्षम रहा है। पीएलआई योजनाओं के लिए 2022-23 के दौरान अब तक आवंटित निधियों के सकल अल्प उपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, समिति ने विभाग को पूरी गंभीरता के साथ योजनाओं को लागू करने और समय पर सुधारात्मक उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि 31 मार्च, 2022 तक शेष आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। समिति यह चाहती है कि उसे 2022-23 के दौरान 31.03.2023 तक विभाग द्वारा निधियों के समग्र उपयोग और विशेष रूप से विभाग की पीएलआई योजनाओं के संबंध में अवगत कराया जाए।

**राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) के अंतर्गत नई स्कीमें एमएच-2852**

3. समिति नाईपर योजना के संबंध में औषध विभाग द्वारा सामना की गई बजटीय चुनौतियों को स्वीकार करती है। विभाग ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 4300.00 करोड़ रुपये की मांग की थी। हालांकि, आर्थिक वित्त समिति (ईएफसी) ने केवल 1500 करोड़ रुपये अनुमोदित किए। पुनः, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, विभाग ने नई पहलें अर्थात् राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण एवं शिक्षा संस्थान (नाईमर) (200.00 करोड़ रुपये), उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) (233.00 करोड़ रुपये), फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान एवं विकास एवं नवाचार परिषद आईसीपीएमआर) (50.00 करोड़ रुपये) और औषध क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार संवर्धन (पीआरआईपी) (243.00 करोड़ रुपये), शुरू करने के उद्देश्य से 1286.00 करोड़ रुपये की मांग की। हालांकि, इसके लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है और मौजूदा नाईपर योजना के लिए केवल 550.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। समिति का विचार है कि बजट आबंटन में कमी से विभाग की नाईपर योजना की प्रगति और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह खेदजनक है क्योंकि देशभर में और अधिक नाईपरों की स्थापना से महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी हो जाएगी। समिति दक्षिणी राज्य में नाईपर की स्थापना की भी सिफारिश करती है जहां औषध शिक्षा में रुचि अधिक है।

तथापि, विभाग ने बताया है कि फार्मा नवाचारों और चिकित्सा उपकरणों के लिए बहु-विषयक पाठ्यक्रमों के संबंध में बजट 2023-24 की घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए, बाद के चरण में वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधियों की मांग की जाएगी। समिति का विचार है कि विभाग की प्रस्तावित पहल अर्थात एनआईएमईआर पीआरआईपी के तहत चिकित्सा उपकरणों और सीओई के क्षेत्र में विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करेगी, जो देश में औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की नींव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं जो अभी भी अन्य देशों से बहुत पीछे है। इसके अलावा, आईसीपीएमआर जैसी अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना भी समय की मांग है ताकि विभाग फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में निर्बाध संवर्धन और समन्वय कर सके। समिति विभाग की इस चिंता को साझा करती है कि हमारे देश

को महंगे चिकित्सीय और चिकित्सा उपकरणों में सहायता की आवश्यकता है और समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग की नाईपर योजना के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाया जाए और कम से कम 1286.00 करोड़ रुपये के पिछले स्तर पर कायम रखा जाए।

**राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) (एमएच2852)**

4. राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) राष्ट्रीय महत्व के स्वायत्त संस्थान हैं, जिन्हें स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शिक्षा प्रदान करने और औषध विज्ञान की विभिन्न विशेषज्ञताओं में अनुसंधान करने के लिए 1998 में संसद में पारित एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। वर्तमान में मोहाली, अहमदाबाद, हैदराबाद, हाजीपुर, गुवाहाटी, रायबरेली और कोलकाता में सात नाईपर कार्यशील हैं।

समिति संतोष के साथ नोट करती है कि सभी नाईपर में स्वीकृत नियमित संकाय और प्रशासनिक पदों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार भर दिया गया है। तथापि, समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि नाईपर-मोहाली और नाईपर-गुवाहाटी को छोड़कर अन्य सभी पांच नाईपर के अपने परिसर नहीं हैं और वे अपने संरक्षक संस्थानों की सहायता से कार्य कर रहे हैं।

नाईपर गुवाहाटी का परिसर निर्माण अभी पूरा हुआ है, नाईपर अहमदाबाद में लगभग 60% निर्माण कार्य पूरा हो गया है और सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से कोलकाता, हाजीपुर और रायबरेली में और एनपीसीसी के माध्यम से हैदराबाद में नाईपर के परिसरों के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संबंधी स्वीकृति दी गई है और निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समिति 2022-23 के दौरान अब तक निधियों के उपयोग के आंकड़ों से प्रसन्न नहीं है क्योंकि 422.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में से 31.12.2022 की स्थिति अनुसार वास्तविक व्यय 231.00 करोड़ रुपये ही रहा। तथापि, विभाग को आश्वासन दिया गया है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत से पहले अधिकतम धनराशि अर्थात् 190.00 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा चूंकि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा तीन नाईपरों अर्थात कोलकाता, हाजीपुर और रायबरेली के परिसरों के निर्माण के लिए संवितरित किया जाएगा बशर्ते निविदा दी जाए। समिति यह भी

नोट करती है कि नाईपर योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे परिसरों के निर्माण, प्रयोगशालाओं के उन्नयन, संकाय/कर्मचारियों को वेतन का भुगतान और छात्रों को फैलोशिप आदि के लिए 550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। समिति को उम्मीद है कि जैसा कि विश्वास दिलाया गया है कि 2022-23 में संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटित 422.00 करोड़ रुपये का पूरा उपयोग किया जाएगा और समिति यह चाहती है कि उसे 2022-23 के दौरान नाईपर द्वारा निधियों के उपयोग के आंकड़ों से अवगत कराया जाए। समिति यह चाहती है कि उसे आश्वस्त किया जाए कि नाईपर अहमदाबाद, कोलकाता, हाजीपुर, रायबरेली और हैदराबाद के परिसरों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और जो भी बाधाएं हों, निर्माण को बिना किसी देरी के पूरा करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे।

**उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें (एमएच2852)**

5. समिति ने नोट किया कि तीन उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं में से एपीआई और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजनाओं को सरकार द्वारा 20 मार्च, 2020 को अनुमोदित किया गया था और योजना दिशानिर्देश 29.10.2020 को जारी किए गए थे। औषधों के लिए तीसरी पीएलआई योजना को 24.02.2021 को अनुमोदित किया गया था। समिति ने नोट किया कि 2022-23 के दौरान पीएलआई योजनाओं के लिए 1629.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 1663.20 करोड़ रुपये कर दिया गया था। तथापि, दिनांक 20.02.2023 की स्थिति अनुसार वास्तविक उपयोग केवल 470.93 करोड़ रुपए था। समिति विभाग के इस विचार की सराहना करती है कि एक से दो वर्ष की परिपक्वता अवधि होती है और फिर उत्पादन की अवधि होती है और प्रोत्साहन को जारी करने की आती है। हालांकि, समिति यह नहीं समझ पाई है कि, 2022-23 में 1629.00 करोड़ रुपये का आवंटन क्यों किया गया और फिर इसे संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 1663.20 करोड़ रुपये कर दिया गया

और वर्ष के अंत में अधिकतम राशि अप्रयुक्त रही। समिति इसे खराब बजट मानती है। औषध विभाग के सचिव ने साक्ष्य के दौरान यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने 2022-23 में जारी किए जाने वाले प्रोत्साहनों के लिए प्रावधान किया था, जबकि 2022-23 उत्पादन का वर्ष था और वास्तव में वे अगले साल यह प्रावधान कर सकते थे। समिति चाहती है कि अब से विभाग को निधियों के बेहतर उपयोग के लिए अपने अनुमानों को प्रस्तुत करने में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए।

**महत्वपूर्ण प्रमुख आरंभिक सामग्री (केएसएम)/ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआई) और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) के संवर्धन हेतु पीएलआई (एमएच2852)**

**6.** महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआई) और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना 20 मार्च, 2020 को शुरू की गई थी, ताकि इस क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करके 41 पहचाने गए केएसएम/ डीआई और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके और इस तरह महत्वपूर्ण एपीआई में भारत की आयात निर्भरता को कम किया जा सके। यह योजना तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें इन उत्पादों की निर्भरता एक ही देश से 85% से अधिक है। तदनुसार, औषध विभाग ने इस योजना के अंतर्गत 41 उत्पादों को अधिसूचित किया है। समिति को विश्वास है कि पीएलआई योजना, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के अधीन, देश को महत्वपूर्ण एपीआई में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। समिति चाहती है कि विभाग को एक ही देश पर केएसएम/डीआई और एपीआई की निर्भरता को और कम करने के लिए प्रयास करने के साथ-साथ योजना की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए।

**चिकित्सा उपकरण के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देते हुए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (एमएच2852)**

**7. समिति ने नोट करती है कि औषध विभाग ने चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 102 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है, हालांकि, 100.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रस्तावित राशि चयनित आवेदकों के साथ परामर्श और उनके द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को प्रस्तुत बिक्री अनुमानों पर आधारित थी, जो इस योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) है। समिति की इच्छा है कि चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त जोर और प्रोत्साहन के साथ गति को निरंतर जारी रखा जाए। समिति को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इस उद्देश्य के लिए आवंटित 100 करोड़ रुपये के इष्टतम उपयोग की आशा है।**

**<u>औषध के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (एमएच2852)</u>**

**8. समिति नोट करती है कि औषध के लिए पीएलआई स्कीम को इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर और औषध क्षेत्र में अधिक मूल्य की वस्तुओं के लिए उत्पाद विविधकरण में योगदान करके भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया है। 2022-23 के दौरान, 694.20 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान आवंटन की तुलना में, विभाग 31.12.2022 तक 165.74 करोड़ रुपये का उपयोग कर सका। हालांकि, यह आश्वासन दिया गया है कि आवंटित राशि में से 538.00 करोड़ रुपये की बड़ी राशि का उपयोग इस वित्तीय वर्ष के अंत तक किया जाएगा। वर्ष 2023-24 के दौरान, 3584.50 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन की तुलना में, विभाग को केवल 1000.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विभाग ने बताया है कि चूंकि पीएलआई आवेदकों ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 2203.20 करोड़ रुपये के दावे का प्रस्ताव किया है, इसलिए आवंटित राशि अनुमानित आवेदक दावों की तुलना में 55 प्रतिशत कम है। घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में विभाग द्वारा की गई पहल, जो औषध क्षेत्र में अधिक मूल्य की वस्तुओं के लिए उत्पाद विविधकरण में योगदान देगा, की सराहना करते हुए समिति औषध क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की लगातार**

समीक्षा करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में कोई ढिलाई न रहे। समिति का विचार है कि किसी भी मामले में औषध के लिए पीएलआई योजना के तहत वित्तीय अड़चनें न आएं जिससे वास्तविक उपलब्धियां कम हो सकती हैं। अत:, इस योजना के लिए निधियों को संशोधित अनुमान स्तर पर पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

**औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण (एसपीआई) (एमएच-2852)**

9. समिति नोट करती है कि औषध विभाग की तीन उप-योजनाएं अर्थात् (i) सामान्य सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ), (ii) औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस) और (iii) औषध एवं चिकित्सा उपकरण संवर्धन एवं विकास योजना (पीएमपीडीएस) जो पहले 'औषध उद्योगों का विकास' (डीपीआई) नामक समग्र योजना के अंतर्गत आई थी, को नई केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना अर्थात् 'औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण (एसपीआई)' में पुन: व्यवस्थित किया गया है। इसके बाद उप-योजना दिशानिर्देशों को एसपीआई के तहत संशोधित किया गया और हितधारकों के परामर्श के बाद 11.3.2022 को जारी किया गया था। एसपीआई योजना का उद्देश्य मौजूदा अवसंरचना सुविधाओं को मजबूत करना और भारत को फार्मा क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनाना है। सिडबी को एसपीआई के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

समिति नोट करती है कि एसपीआई के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 500.00 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, विभाग को 171.20 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन की तुलना में 149.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। समिति को आशा है कि हितधारकों के साथ परामर्श के बाद एसपीआई योजना के तहत उप-योजना दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधनों के बाद, एसपीआई की उप-योजनाओं के तहत कार्य निष्पादन में सुधार होगा और एसपीआई योजना के लिए आवंटित 149.00 करोड़ रुपये का इष्टतम उपयोग किया जाएगा।

**<u>सामान्य सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)</u>**

**10.** **समिति नोट करती है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात 'औषध उद्योग को सुदृढ़ करना (एसपीआई)' की उप-योजना 'सामान्य सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)' का उद्देश्य सामान्य सुविधाओं का निर्माण करके मौजूदा फार्मास्युटिकल क्लस्टर की क्षमता को सुदृढ़ करना है। हालांकि, समिति नोट करती कि उप-योजना एपीआई-सीएफ के तहत, 2021-22 और 2022-23 के दौरान, 15.61 करोड़ रुपये और 32.00 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में, वास्तविक उपयोग क्रमशः** 9.89 **करोड़ रुपये और 7.67 करोड़ रुपये (31.12.2022 तक) था। स्पष्ट है कि इन वर्षों के दौरान वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी आई थी। वर्ष 2021-22 के दौरान 3 सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) के अनुमोदन से संबंधित लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। अब तक, केवल 1 परियोजना अर्थात् तमिलनाडु के अलाथुर में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) को कार्यात्मक बनाया गया है। दिनांक 31.12.2021 को अनुमोदित अन्य दो परियोजनाएं अर्थात् (i) एक सामान्य परीक्षण सुविधा, पुणे, महाराष्ट्र में प्रायोगिक संयंत्र और सामान्य लॉजिस्टिक केंद्र के साथ अनुसंधान और विकास और (ii) सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अभी भी चालू होने की प्रक्रिया में हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, अनुमोदित किए जाने के लिए लक्षित 5 परियोजनाओं को अभी अंतिम अनुमोदन मिलना बाकी है। समिति एसपीआई योजना की उप-योजना एपीआई-सीएफ के तहत परियोजनाओं के धीमे कार्यान्वयन के बारे में चिंतित है और विभाग से आग्रह करती है कि एपीआई-सीएफ योजना को पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जाना चाहिए और परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि वर्ष 2023-24 के दौरान 51.00 करोड़ रुपये के आवंटन का इष्टतम उपयोग किया जा सके।**

**<u>औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)</u>**

11. केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 'औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण (एसपीआई)' के अंतर्गत उप-योजना 'औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)' का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियामक मानकों (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी अथवा अनुसूची-एम) को पूरा करने के लिए सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम फार्मा उद्यमों को उनके पूंजीगत ऋणों पर ब्याज सहायता अथवा पूंजीगत राजसहायता का प्रावधान करके उन्हें सुविधा प्रदान करना है, जो मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता में वृद्धि को और सुविधाजनक बनाएगा। हालांकि, समिति नोट करती है कि 2020-21 और 2021-22 के दौरान, क्रमशः 2 लाख और 1 लाख रुपये के सांकेतिक आवंटन की तुलना में, निधियों का शून्य उपयोग हुआ था। यद्यपि बजट अनुमान, 2022-23 में 62.00 करोड़ रुपये का अधिक आवंटन किया गया था, लेकिन संशोधित अनुमान, 2022-23 में इसे घटाकर 1.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था और फिर से निधियों का कोई उपयोग नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप, 2020-21 और 2022-23 के दौरान क्रमशः 500 और 150 एमएसएमई इकाइयों का उन्नयन करने का वास्तविक लक्ष्य भी हासिल नहीं किया गया था। समिति ने पाया कि जब योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई प्रगति नहीं होती है और वर्ष के दौरान योजना पर कुछ भी खर्च नहीं किया जाता है तो लक्ष्य निर्धारित करने का कोई लाभ नहीं है। पीटीयूएएस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियों का शून्य उपयोग इस योजना के लाभों के संबंध में व्यापक पहुंच बनाने के बावजूद योजना के प्रति उदासीन प्रतिक्रिया के कारण है। समिति चाहती है कि पीटीयूएएस योजना के प्रति उदासीन प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार कारकों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और तदनुसार सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। हितधारकों के साथ इस मामले पर चर्चा की जा सकती है, और यदि आवश्यक हो, तो योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है।

12. समिति इस बात पर संतोष व्यक्त करती है कि वर्ष 2023 में चार आवेदन प्राप्त हुए हैं जो परियोजना प्रबंधन एजेंसी (सिडबी) की जांच के अधीन हैं और विभाग 2023-24 में बेहतर

एमएसएमई उद्योग प्रतिक्रिया की आशा कर रहा है। समिति यह भी चाहती है कि विभाग को एमएसएमई के बीच पीटीयूएएस योजना के पर्याप्त प्रचार के लिए ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहिए। समिति यह आश्वासन देना चाहती है कि विभाग तत्काल सुधारात्मक उपाय करेगा और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पीटीयूएएस योजना के लिए 95.00 करोड़ रुपये के आवंटन का पूरा उपयोग किया जाएगा।

<u>औषध एवं चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस)</u>

13. केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 'औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण' (एसपीआई) के अंतर्गत 'औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना' (पीएमपीडीएस) नामक उप-योजना को अध्ययन/सर्वेक्षण रिपोर्टों, जागरूकता कार्यक्रमों, डाटाबेस के सृजन और उद्योग संवर्धन के माध्यम से औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों की वृद्धि और विकास को सुकर बनाने के लिए अभिकल्पित किया गया है। समिति इस योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों के कम उपयोग को नोट करके व्यथित है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, 1.00 करोड़ रुपये और 2.00 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में, विभाग क्रमशः 0.49 करोड़ रुपये और 1.20 करोड़ रुपये का उपयोग कर सका। वर्ष 2022-23 के दौरान, 3.00 करोड़ रुपये की आवंटित धनराशि की तुलना में, वास्तविक उपयोग 0.24 करोड़ रुपये (31.12.2021 तक) है। विभाग 2021-22 और 2022-23 के दौरान अध्ययन और सेमिनारों के संबंध में वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है। समिति महसूस करती है कि औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना पर औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों की वृद्धि और विकास के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए, समिति विभाग से इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करती है ताकि 4 करोड़ रुपये की आवंटित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके।

<u>चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन की योजना (एमएच 2852)</u>

14. समिति यह पाती है कि समग्र योना 'औषध उद्योग का विकास' में सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के सृजन के लिए सहायता अनुदान प्रदान करके 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'चिकित्सा उपकरण पार्कों' को बढ़ावा देने की उप-योजना शामिल है। योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए 400.00 करोड़ रुपये और प्रति पार्क 100.00 करोड़ रुपये या सीआईएफ की लागत का 70%, जो भी कम हो, है। यह सहायता पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों के लिए 90 प्रतिशत होगी। तथापि, समिति वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आबंटित निधियों के उपयोग में भारी कमी को नोट करके बहुत चिंतित है, जहां संशोधित अनुमान चरण पर 120.00 करोड़ रुपये की आबंटित राशि में से विभाग फरवरी, 2023 तक ही 89 लाख रुपये का उपयोग कर सका। कमी का कारण यह बताया गया है कि निधियों का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि राज्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए 30.00 करोड़ रुपये की पहली किस्त का 60 प्रतिशत और राज्य निधियों की समतुल्य राशि खर्च नहीं कर सके क्योंकि 30.00 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे। समिति का यह दृढ़ मत है कि सामान्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के लिए चिकित्सा पार्कों के संवर्धन की योजना को प्रक्रियात्मक विलंब के कारण प्रभावित नहीं होने दिया जाना चाहिए। अत:, विभाग को संबंधित राज्यों से उपयोग प्रमाण-पत्र शीघ्र जारी करने के लिए मामले को अविलंब उच्चतम स्तर पर संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष उठाना चाहिएयद्यपि इस परियोजना में शुरू में काफी निवेश होगा, लेकिन समय के साथ इससे होने वाले लाभ भी कहीं अधिक होंगे। समिति को आशा है कि विभाग इस दिशा में तत्काल कदम उठाएगा और इस योजना के तहत 200.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान, 2023-24 का इष्टतम उपयोग करने में सक्षम होगा।

<u>बल्क ड्रग पार्कों के संवर्धन की स्कीम (एमएच 2852)</u>

15. समग्र योजना 'औषध उद्योग का विकास' (एमएच-2852) के अंतर्गत एक अन्य उप-योजना 'बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन' है जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के सृजन के लिए सहायता अनुदान प्रदान करके 3 बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देना है। प्रति पार्क 1000.00 करोड़ रुपये या सीआईएफ की लागत का 70%, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और यह सहायता पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों के लिए 90% होगी। इस योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 3000.00 करोड़ रुपये है और इसके कार्यान्वयन की अवधि 2020-21 से 2024-25 है। तथापि, समिति यह नोट करके निराश है कि तीन लाभार्थी राज्यों को 2 वर्ष और 9 महीने की लंबी अवधि के बाद इस योजना के अंतर्गत चुना गया है। यह योजना फरवरी, 2020 में शुरू की गई थी और राज्यों का चयन अक्तूबर/नवंबर, 2022 में किया गया था। परिणामस्वरूप, 2022-23 के दौरान, इस योजना के तहत 900 करोड़ रुपये के आवंटन में से केवल 301.50 करोड़ रुपये का उपयोग फरवरी, 2023 तक किया जा सका। समिति इस तथ्य से कुछ संतोष प्राप्त करती है कि राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) ने अगले 24-28 महीनों के भीतर इन परियोजनाओं को पूरा करने का संकेत दिया है जो योजना अवधि का अंतिम वर्ष होने के कारण वर्ष 2024-2025 के आसपास होगा। यह नोट करना समीचीन है कि देश को आयात के बजाय स्वदेशी रूप से थोक दवाओं की आवश्यकता को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता है। समिति को अवगत कराया गया है कि योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए माननीय केन्द्रीय मंत्री के अंतर्गत उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सचिव स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। पीएमए योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साथ भी बातचीत कर रहा है। समिति 'बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने' की योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की सराहना करती है और आशा करती है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना के तहत आवंटित 900.00 करोड़ रुपये की राशि का पूरा उपयोग किया जाएगा।

**<u>प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) (एमएच 2852 और एमएच 2552)</u>**

**16. वर्ष 2020-2021 से 2024-2025 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के लिए सरकार द्वारा** 490.00 **करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है। समिति को यह नोट करके प्रसन्नता हुई है कि औषध विभाग पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमबीजेपी के लिए आवंटित धन का इष्टतम उपयोग करने में समर्थ रहा है। इसके अलावा, इन वर्षों के दौरान नए औषधि केंद्र खोलने और दवाओं और सर्जिकल्स के उत्पाद बास्केट को बढ़ाने और गोदाम स्थापित करने के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को गोदामों के संबंध में छोड़कर अधिकतर हासिल कर लिया गया है, जहां 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः 04, 05 और 06 गोदाम खोलने के लक्ष्य की तुलना में, 03, 04 और 05 गोदाम (अपेक्षित) खोले जा सके। तथापि, विभाग ने कहा है कि वर्ष 2025 तक देश में 6 गोदाम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और तदनुसार, आवश्यकता के आधार पर कुछ वर्षों में देश में दो और गोदाम खोले जाने की योजना है। समिति सभी को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने में सरकार के प्रयासों की सराहना करती है। इसके अलावा, पीएमबीजेपी के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 115.00 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय किया गया है, जो बजट अनुमान, 2022-23 के 72.50 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक है। निधियों के उपयोग में पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, समिति को पूरी आशा है कि औषध विभाग वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नियत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने में समर्थ होगा।**

**<u>राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) (गैर-योजना - एमएच 2852)</u>**

**17. एनपीपीए औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकाय है और विभाग की गैर-योजना के अंतर्गत वर्गीकृत है। यह निकाय औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के अंतर्गत अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों के निर्धारण और संशोधन, मूल्यों की निगरानी और प्रवर्तन तथा औषध नीति और दवाइयों की वहनीयता, उपलब्धता और सुलभता से संबंधित मुद्दों**

पर सरकार को इनपुट प्रदान करता है। समिति यह पाती है कि 1997 में अपनी स्थापना के बाद से एनपीपीए अनुसूचित औषध श्रेणी के अंतर्गत केवल 20 प्रतिशत औषध फार्मूलेशनों के मूल्यों को विनियमित करने में समर्थ रहा है जबकि 80 प्रतिशत गैर-अनुसूचित औषधियां अभी भी 10 प्रतिशत वार्षिक मूल्यसीमा से कम हैं। एनपीपीए ने कोविड के दौरान इसी दृष्टिकोण के तहत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेब्युलाइज़र, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर के लिए फरवरी 2019 में और बाद में जून/जुलाई 2021 में अवधारणा के प्रमाण के लिए सफल प्रयोग के रूप में "ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन" दृष्टिकोण के तहत 42 चुनिंदा कैंसर-रोधी दवाओं के गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन के व्यापार मार्जिन की सीमा तय कर दी है।

समिति इच्छा व्यक्त करती है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियामक होने के नाते एनपीपीए को आम आदमी को सस्ती दवाओं और चिकित्सा उपकरणों तक पहुंच के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए और इसलिए औषध विभाग/एनपीपीए संयुक्त रूप से औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के कार्य में आने वाली चुनौतियों का समाधान करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकतम फार्मूलेशन न्यूनतम संभव समय में अनुसूचित दवा मूल्य विनियमन के तहत आ जाएं। समिति चाहती है कि इस संबंध में समय-समय पर हुई प्रगति से अवगत कराया जाए। समिति यह भी चाहती है कि गैर-अनुसूचित औषधियों के मूल्यों को विनियमित करने के औषध विभाग के विचाराधीन प्रस्ताव के संबंध में हुई प्रगति से भी अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली;<br>
.... मार्च, 2023<br>
..... फाल्गुन, 1944 (शक)

डॉ. शशि थरूर<br>
सभापति,<br>
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

## रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
## (2022-23)

## समिति की ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 15 फरवरी, 2023 को 1100 बजे से 1230 बजे तक समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

**उपस्थित**

**डॉ. शशि थरूर - सभापति**

**सदस्य**

**लोक सभा**

2. श्री सी. एन. अन्नादुरई
3. श्री दीपक बैज
4. श्री कृपानाथ मल्लाह
5. श्री सत्यदेव पचौरी
6. श्री अरूण कुमार सागर
7. श्री प्रदीप कुमार सिंह
8. श्री उदय प्रताप सिंह
9. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा

**राज्य सभा**

10. डा. अनिल जैन

**सचिवालय**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | श्री एन. के. झा | - | निदेशक |
| 6. | श्रीमती गीता परमार | - | अपर निदेशक |
| 7. | श्री कुलविंदर सिंह | - | उप सचिव |
| 8. | श्री पन्नाला | - | अवर सचिव |
| 9. | सुश्री सोनिया सांखला | - | समिति अधिकारी |

**साक्षियों की सूची**

**एक. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सुश्री एस. अपर्णा | सचिव |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | श्री संजय रस्तोगी | अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार |
| 3. | श्री अवधेश कुमार चौधरी | वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार |
| 4. | श्री रजनीश टिंगल | संयुक्त सचिव |
| 5. | श्री एन. युवराज | संयुक्त सचिव |

**दो. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) तथा भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई)**

| | | |
|---|---|---|
| 6. | श्री कमलेश कुमार पंत | - अध्यक्ष, एनपीपीए |
| 7. | श्री रवि दधिच | - सीईओ, पीएमबीआई |

**तीन. राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर) के प्रतिनिधि**

| | | |
|---|---|---|
| 8. | डा. शशि बाला सिंह | निदेशक (नाईपर, हैदराबाद) |
| 9. | श्री वी. रविचन्द्रन | निदेशक (नाईपर, कोलकाता) |

**चार. पीएसयू के प्रतिनिधि**

| | | |
|---|---|---|
| 10. | सुश्री नीरजा सराफ | प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) एवं राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल), बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) (अतिरिक्त प्रभार) |

2. सर्वप्रथम, सभापति ने 'अनुदानों की मांगें 2023-24' के संबंध में विभाग का मौखिक साक्ष्य लेने हेतु बुलाई गई समिति की बैठक में औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत कियाफ बैठक की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 58 की ओर साक्षियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए सभापति ने औषध विभाग के सचिव से कहा कि वह समिति को व्यापक मानदंडों से अवगत कराए जिनके आधार पर विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं और वर्ष के दौरान निर्धारित निधियों के इष्टतम उपयोग के साथ विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की कार्य योजना बनायी गई है तथा चालू वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए वास्तविक व्यय की सामान्य रूपरेखा भी दें।

**3. तत्पश्चात्, औषध विभाग के सचिव ने समिति को वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों, वर्ष 2022-23 की उपलब्धियों, वर्ष 2023-24 के लिए योजनाओ; भारतीय औषध और चिकित्सा**

उपकरण उद्योग की स्थिति, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के संबंध में विभाग का अधिदेश और कार्यनीतियां; राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) और दवाईयों तथा चिकित्सा उपकरणों के मूल्यों की निगरानी; भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का कार्यान्वयन; नाईपर, मोहाली के अलावा छह नाईपरों के परिसर के निर्माण की स्थिति तथा सभी सात नाईपरों में अनुसंधान को बढ़ावा देना; राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईएमईआर) की स्थापना करके शिक्षा कोर्सेज की शुरूआत और इन्हें बढ़ावा देना तथा चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास; और सरकारी क्षेत्र के पांच उपक्रमों की स्थिति अर्थात् इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) को बंद करना, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) के शेयरों को राजस्थान सरकार को अंतरित करने की कार्रवाई; हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल), बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) तथा कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) का नीतिपरक विनिवेश, आदि।

4. तदुपरांत, सदस्यों ने विषय से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जैसे कि विभाग की अग्रणी स्कीमों जैसे बल्क औषधों, चिकित्सा उपकरणों और औषधों के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन हेतु उत्पादन सह प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, बल्क ड्रग पार्क और चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन की स्कीम, औषध उद्योग के सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान बजट आबंटन का अल्प उपयोग; आयातित एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (एपीआई) पर निर्भरता कम करना; जन औषधि केंद्रों की स्थिति तथा जन औषधि केंद्रों के मालिकों को औषध और चिकित्सा उपकरणों की निर्बाध आपूर्ति के लिए देश में और केंद्रीय भंडागारों की स्थापना आदि।

5. सभापति ने समिति के समक्ष उपस्थित होने के साथ-साथ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने हेतु साक्षियों का आभार व्यक्त किया और उन्हें सदस्यों द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों, जिनके उत्तर न दिए जा सके, के उत्तर भेजने के लिए कहा।

6. समिति की बैठक की कार्यवाही के शब्दश: रिकार्ड की एक प्रति रखी गयी है।

***(तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।)***

*तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।*

**रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति**
**(2022-23)**
समिति की बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 20 मार्च, 2023 को समिति कक्ष संख्या 3, ब्लॉक 'ए', संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में 1600 बजे से 1630 बजे तक हुई।

**उपस्थित**

**डॉ शशि थरूर – सभापति**
**सदस्य**
**<u>लोक सभा</u>**

2 श्री सी एन अन्नादुरई
3 श्री दीपक बैज
4 श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
5 श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
6 डॉ. संजय जायसवाल
7 श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
8 श्री सत्यदेव पचौरी
9 श्रीमती अपरूपा पोद्दार
10 श्री उदय प्रताप सिंह
11 श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा

**राज्य सभा**
12 डॉ. अनिल जैन
13 श्री राम नाथ ठाकुर
14 श्री विजय पाल सिंह तोमर

**<u>सचिवालय</u>**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री विनय कुमार मोहन | - | संयुक्त सचिव |
| 2. | श्री नवीन कुमार झा | - | निदेशक |
| 3. | श्रीमती गीता परमार | - | अपर निदेशक |
| 4. | श्री कुलविंदर सिंह | - | उप सचिव |
| 5. | श्री पन्ना लाल | - | अवर सचिव |

2. सभापति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारार्थ लिया और उन्हें बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया:

(i) xxx xxx xxx xxx
(ii) xxx xxx xxx xxx
(iii) औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की मांगें 2023-24.

3. तत्पश्चात, समिति ने सभापति को प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और संबंधित मंत्रालय/विभागों से प्राप्त तथ्यात्मक सत्यापनों के आलोक में संसद के दोनों सदनों में प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने/सभा पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया।

***तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।***